

प्राप्ति - का
(धारा- 4 (1) द्वारा)

सूचना चाहते के लिए सूचना देने वालों

प्रेषित :-

कार्यालय का भारतीय
कार्यालय

ज्ञामान् लौक सूचना अधिकारी, F.A.A.

वैष्णवीनीय अधिकारी। मुरल्ल कोषाद्विकारी।
ज्ञामान् लौक नगर

- (1) आवेदक का पूरा नाम N014565600P HAN NANDAN SINGH (राजा)
गांव PLOT NO.54A गाँव SHRI SHYAM VATIKA
तहसील BINDIYANGA जिला गढ़पुर
सर्करी रोड रायगढ़ी जिला 302012
CHANGE OF PDA : EPPCL
- (2) पता :-
- (3) सूचना की विशेषियां
- (अ) उस विभाग/कार्यालय का नाम जिससे संबंधित है। डी.टी.सी।
- (ब) सूचना की प्रकृति ① P.P.O. NO 148200705620 त्रि 29 दिसं 2020 मा।
- (स) सूचना का पूर्ण व्यापार भुगतान लाभात्मक नहीं है। पारा है।
- ② इसका ए पेंशन ब्रॉडकॉल से अप्राप्त करा रखा गया।
इसका ए पेंशन के एक वर्ष तक ब्रॉडकॉल द्वारा दिला जाता है।
- ③ एसना EPPCL SBT डेबिटी पा PDA ब्रॉडकॉल के बारम्बान
न्या EPPCL, SBT गढ़पुर ब्रॉडकॉल (५) PDA १० ब्रॉडकॉल
Records दे PPO TO USNAGAR के बीच, PPO प्रेस्ट्रीच
फास्ट डे नहीं है। उत्तराखण्ड, कुमाऊं हुआ जाता है। PPO
में यह और काथन करता है कि चाही गई सूचना अधिकारी को धारा 5 में
अन्तर्विंष्ट निर्वाचन के अन्तर्गत नहीं आती है। पूर्व सैनिक द्वासाल ई काफी परेशानी
आप सज्जन का योगदान ब्रॉडकॉल
करना लालू भुगतान मिल सकता है।
- (4) क्या फोस के संदर्भ का सम्बूत संलग्न कर दिया गया है। हाँ/नहीं फास्ट डे नहीं है।
- स्थान :- गढ़पुर
दिनांक :- 20.12.2024
समय :- 20.12.2024
16.00 HRS

संलग्न :-

- Post office Rs 10.00
- PDA ब्रॉडकॉल
- PPO 2020 (३) Post office
- आपवान २०.६.२१ (३) EPPCL Records
- EPPCL Delhi ५५.५.२१.

आवेदक के हस्ताक्षर

Han Singh
N014565600P HAN DEBNAND
NANDAN SINGH (राजा)
M - 8564029128

“ सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र : ”

कार्यालय का नाम व पता:- निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या ०२ / ०१ / ०४.०४.२०२२ / नि०क०० / आरटीआई / २०२२ दिनांक ०५ अप्रैल, २०२२

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय- कोषागार ऊधमसिंहनगर,
उत्तराखण्ड।

कृपया NO 1456500P Hav.Acpnb Sub नंदन सिंह, प्लॉट नं० ५४ A, पोस्ट विधायक, सिरसी रोड, जयपुर, राजस्थान, 302012 का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक रहित इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्यूटर डायरी में दिनांक ०४.०४.२०२२ को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक रहित संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा ६ (३) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना, अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रु० १० भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या “५२F ३५५४८४” इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

मर्वदीय,

(जगत माहन जोशी)

लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी, डेहरादून
०१३५ / २२२६८२८

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतीलिपि NO 1456500P Hav.Acpnb Sub नंदन सिंह, प्लॉट नं० ५४ A, पोस्ट विधायक, सिरसी रोड, जयपुर, राजस्थान, 302012 को सूचनार्थ प्रेषित।

(जगत माहन जोशी)

लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी,
०१३५ / २२२६८२८

00301
06/10/2022

श्री जोशी IAS

निरुपात्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय-निदेशक,
कोषागार पेशन एवं हकदारी,
23-लक्ष्मी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के भाग 6(1) के अन्तर्गत सूचना चाहने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रार्थी को निम्न विन्दुओं पर सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने का काट करें—

1. सहायक लेखाकार से लेखाकार के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित पात्रता अवधि के सम्बन्ध में नियमावली/शासनादेश की प्रति।
2. वर्ष 2021-22 में निदेशालय, कोषागार पेशन लेखा एवं हकदारी, 23-लक्ष्मी रोड देहरादून में शिथिलीकरण की व्यवस्था के तहत सहायक लेखाकार से लेखाकार के पदों पर की गयी पदोन्नति के सम्बन्ध में पदोन्नति सूची।

संलग्नक:- 1. नियमानुसार रु0 10/- नकद। अधिकारी का काम वृत्त सामित्र की सहायी कीमत।
2. सूचना प्रेषण में होने वाले अतिरिक्त शुल्क रु0 20/- नकद।

दिनांक:-

27/10/2022

प्रार्थी
(पंकज भट्ट)

पता-42/1 धर्मपुर-1st
देहरादून, उत्तराखण्ड।
पिन कोड-248001

श्री जोशी/श्री पंकज भट्ट
विधायिका द्वारा द्वारा द्वारा
कामांक ४५/२२

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 148

/ 02 / 06.04.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक: 06 अप्रैल, 2022

श्री पंकज भट्ट,
पता— 42/1 धर्मपुर,
1st, देहरादून उत्तराखण्ड।

कृपया आपके सूचना के अनुरोध—पत्र दिनांक 29.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 06.04.2022 को प्राप्त/अकित है। जिसमें आपके द्वारा पूर्व में 02 विन्दुओं में सूचना की मांग की गई थी वर्तमान में आपके द्वारा विन्दु 01 की सूचना की आवश्यकता नहीं है ऐसा उल्लिखित किया गया है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

विन्दु 02- उक्त मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में शिथिलीकरण का कार्यवृत्त एवं समिति की संस्तुति की प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ-03) संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,



(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी /
उप कोषाधिकारी
0135 / 2226828

00323
06/04/2022

श्री लोकी STO

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय निदेशक पेंशन
निदेशालय पेंशन, कोषागार एवं हकदारी विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रियोग
३

सूचना प्राप्ति हेतु

दिनांक : 26-03-2022

कुल संलग्नक सं.-02

विषय :- लोक सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु।

महोदय,

मैं आपके स्तर से लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिन्दुओं में चर्चित विषयक सूचनायें उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूँ, जिसका निघारित शुल्क दस रुपये मेरे द्वारा पोस्टल आर्डर के माध्यम से अदा किया जा चुका है। जिसका नम्बर 56F-440458 है, जो संलग्नक नं० दो द्वारा आपकी सेवा में प्रेषित है।

1. मेरे द्वारा श्रीमान निदेशक पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड की सेवा में अपना एक प्रत्यावेदन दिनांक 13-09-2021 (संलग्नक नं. 1) आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा से उपलब्ध कराया गया था, जो राजकीय इण्टर कालेज रानीपुर भेल हरिद्वार के फिलाल सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री जयपाल सिंह चौहान की पेंशन रोकने से सम्बन्धित है।

उक्त पर आपके निदेशालय स्तर से अद्यतन जो भी कार्यवाही सम्पन्न की गयी है, उसका तथ्यों/साक्ष्यों की छायाप्रति के साथ सूचना देने का कष्ट करें।

सधन्यवाद!

अनुरोधकर्ता

२१६-५०८५२८२०२

राजेन्द्र प्रसाद (बालियान)
'अंजनि सदन' 41, सर्वप्रिय विहार
कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
मो० : 9897306647

श्री लोकी STO
लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

6/4/22

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पैशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 567 / 03/04.2022 / नि०को०/आर०टी०आई०/2022

दिनांक: 26 अप्रैल, 2022

श्री राजेन्द्र प्रसाद, (बालियान)
अंजनि सदन 41, सर्वप्रिय विहार,
कनखल, जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड मो० 9897306647

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 26.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 06.04.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 01 विन्दु में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

विन्दु 01-उक्त मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या 2389 दिनांक 03 अगस्त, 2021 (पृष्ठ - 01) कार्यालय प्रधानाधार्य, रा०इ०को० भेल, हरिद्वार का पत्र संख्या 127 दिनांक 09.08.2021 (पृष्ठ -02) एवं कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी के पत्र संख्या 3942-45 दिनांक 21 अगस्त, 2021 (पृष्ठ-04) की प्रमाणित छायाप्रति कुल (पृष्ठ-07) निशुल्क संलग्न है। वर्तमान में पैशन प्राधिकार पत्र दिनांक 31.08.2021 को निर्गत किया जा चुका है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पैशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत सौहना जोशी अधिकारी
लोक सूचना अधिकारी पैशन एवं हकदारी
निदेशक कोषागार, डालनवाला, देहरादून
0135 / 2226828)

दिन 28/03/2022

सेवा मे-

भौमाम लोक स्वयंता उचिकारी महोदय
निदेशालय कोषागर रुवं वित सेवाएं उत्तराखण्ड
23 लक्ष्मी रोड डालनबाला, देहरादून,

विषय - स्वयंता उचिकार जाधिमिष्म २००५ के तहत स्वयंता बोहोजों
विषयक।

महोदय

उपरोक्त विषयक सादर निवेदन हैं कि प्राची द्वारा निम्न
विन्दुओं पर स्वयंता यादी गई है, कृपया स्वयंता उपलब्ध करवाने
की महति कृपा कीजिएगा नी।

विन्दु सं-०१- यदि कोई भी कर्मचारी पूर्व में कार्यरत विभाग से

उन नियमित होकर नव नियुक्त विभाग में नियुक्ति या
कार्यभार ग्रहण करता है, उस स्थिति में पूर्व में कार्यरत विभाग
से सम्बन्धित कोषागर से सन् १० रुपये निर्गत करवाने हेतु
किन प्रतीका पालन करना पड़ेगा ?

विन्दु सं-०२ क्या पूर्व में कार्यरत विभाग में उन नव नियुक्त विभाग में

गोणदान करने के बाद ऊन्निम वेतन लगान-पत्र (सन् १० रुपये)
निर्गत करवाने हेतु, पूर्व में कार्यरत विभाग से लगान-पत्र देना
सावधान है ?

विन्दु सं-०३, यदि कोई कार्मिक सक से उचिक विभागों में नव
नियुक्ति/पदान के माध्यम से अपनी सेवा देता है तो क्या
उस कार्मिक का ऊन्नग-ऊन्नग विभाग में वेतन कोड सक ही
रहेगा या नया वेतन कोड होगा ?

उत्तराखण्ड से निवेदन है कि यादी गयी स्वयंता ऊन्नग करवाने की कृपा करें।

संलग्नक - स्टम्प प्रेस

का. १०- का. १०-१०-१००० क्रमांक सं-

IN-UK 7610 890679267371

श्री केलबाल डॉ.

कृष्णा लिपिति द्वारा प्रकाशित
प्राची नाम से जानवार के नामों को
कानूनी रूप सार्वाधीन बोलने का
कानून १०.१०.१२/५/२२

मन्त्री
द्वारा प्राप्त नोटिस

कृष्ण विहार, घोन-२ (प्रदूषण संहिता)
लज्जारावाना, डालबाड-जगन्नाथपुर रुद्र
निकट जानकी रस्ते लाली दोल
देहरादून, २४८००।

संलग्नक 10
अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

पंजीकृत

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 664

/ 04 / 11.04.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक: 29 अप्रैल, 2022

श्री दुर्गा प्रसाद नौटियाल,
कुंज विहार, फेज-2
(भट्ट मौहल्ला) बंजारावाला,
डाकघर, अजबपुर खुर्द,
निकट जानकी रकूल, कारगी चौक,
देहरादून - 248001

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 28.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्यूटर डायरी में दिनांक 11.04.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 03 विन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा अपेक्षित सूचना प्रश्नवाचक रूप में है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।

तथापित मांगी गयी सूचना एल०पी०सी० से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 232 दिनांक 19 अप्रैल, 2010 एवं शासनादेश संख्या 541 दिनांक 17 मई, 2010 (कुल पृष्ठ-03) की प्रमाणित छायाप्रति निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत माहने जोशी)

लोक सूचना अधिकारी /

उप कोषाधिकारी

0135 / 2226828

दिनांक 09-04-2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कोषागार पेशन एंव हकदारी
लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून

विषय— स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के सम्बद्ध में सूचना प्राप्त हेतु आवेदन पत्र
महोदय,

सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत निम्न विन्दुओं पर सूचना देने की कृपा करें।

विन्दु संख्या 01:— यह कि पुलिस विभाग उत्तराखण्ड में दिनांक 20-04-2002 में नियुक्त कान्सटेबल (सिपाही) कितने वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त निकट भविष्य में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किस तिथि, वर्ष से आवेदन कर सकता है।

विन्दु संख्या 02:— यह कि उपरोक्त विन्दु संख्या 01 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिये कान्सटेबल (सिपाही) की उम्र कितनी होनी चाहिए।

विन्दु संख्या 03:— यह कि उपरोक्त विन्दु संख्या 01 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद आवेदन पेशन का हकदार है या नहीं।

संलग्न—पोस्टल आर्डर

रेनू देवी, वार्ड नं 19
नियर आर्य समाज मन्दिर,
धुपपुर, पो 0 ओ पदमपुर सुखराँ, कोटद्वार

०६६१६/३२२
१८०५/६००
श्री जोशी ८८०
नितेश कुमार

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: ३७२ / ०६/१८.०४.२०२२/नि०को०/आर.टी.आई./२०२२ दिनांक: २० अप्रैल, २०२२

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय— पुलिस उपाधीक, (एम०)
पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड,
१२ सुमाष रोड, देहरादून।

कृपया सुश्री रेनू देवी, वार्ड नं० १९ नियर आर्य समाज मन्दिर, घुवपुर, पो०ओ० पदमपुर सुखरी, कोटद्वार का पूर्व सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक ०९.०४.२०२२ जो इरा निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक १८.०४.२०२२ को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक ०९.०४.२०२२ संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-२००५ की धारा ६ (३) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना, अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करे। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रु० १० भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या "३७८ ९३६५७४" इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

20/4/22
 (जगत मोहन जोशी) अधिकारी
 लोक सूचना अधिकारी, पेशन एवं हकदारी
 उप कोषाधिकारी *लक्ष्मी रोड, देहरादून*
 ०१३५/२२२६८२८

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि सुश्री रेनू देवी, वार्ड नं० १९ नियर आर्य समाज मन्दिर, घुवपुर, पो०ओ० पदमपुर सुखरी, कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

20/4/22
 (जगत मोहन जोशी) अधिकारी
 लोक सूचना अधिकारी, पेशन एवं हकदारी
 उप कोषाधिकारी *लक्ष्मी रोड, देहरादून*
 ०१३५/२२२६८२८

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) II उ०प्र० ३८६४० इलाहाबाद
पत्रक- एस.एस.ए. II/एल.आई.डी.-७६१५/OUT-६ की दिनांक
OPAII- १.६१३
विशेष गुदांकित

रोका गे,

वरिष्ठ लेखाधिकारी पेशन
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
न्यूरामण्डल, महालेखाकार भवन,
कौलालगढ़, देहरादून- 248195

विषय:- श्री चैत्रराम पारा. पी.सी.ओ. रांच्या. Police VI/119०/P-12761/
पेशन पुरानीकित-नैति-जुनावाले शास्त्रमें। 1991

गहोरग/गहिरदग्ध

चार्यालय विज्ञनियोलकु (उ.प्र. पुर्विस सुखबाला) के
पत्र रांच्या-एस.एस.ए. II/एल.आई.डी.-७६१५/२३४२-१९९१ दिनांक ०५. ०३-२०२० के द्वारा
श्री चैत्रराम का पेशन चारों घेतन जायोग के अनुसार पुरानीकित
गत्र के पुरानीकित पेशन प्राधिकार पत्र को पाधिकारी ने रिक्विट (रिक्विट वाल) को प्रेपित करने हेतु
इस गत्रालय को प्रेपित किया है, जिसे इस पत्र के साथ रिक्विट करके आपको प्रेपित विषय जा रहा है।
अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्राधिकरण को आपने तत्तर रो गोपाधिकारी (रिक्विट वाल)
को प्रेपित एवं निर्देशित करें कि इस प्राधिकार के अनुसार पेशन पुरानीकित गत्र के श्री
को जुनावाल की जार्यवाही सुनिश्चित करें।

राजनामा:- विशेष गुदांकित प्राधिकार पत्र.
(मूलरूप गे)

गवर्दीय

लेखाधिकारी/पेशन

2866.

प. पत्र रांच्या-एस.एस.ए. II/एल.आई.डी.-७६१५/२३४२-६८१ | तद दिनांक २३/१/२०२०
OPAII- ६५१३

प्राप्तिलिख- विज्ञनियोलकु (उ.प्र. पुर्विस सुखबाला) सरकारी

1. श्री चैत्रराम

ग्राम- होद्ध छंगा फते पटी

ज्याना- नेरेन्द्र नगर

जनपद- हिंदूरी जटवाल

लेखाधिकारी/पेशन

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता:- निदेशालय कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या ३५९ / ०६/१८.०४.२०२२/नि०को०/आरटीआई/२०२२ दिनांक: २० अप्रैल, २०२२

सेवा में,

- 1- लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय- उप कोषागार ऋषिकेश
जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 2- लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय- कोषागार नरेन्द्रनगर,
जिला- टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

कृपया श्री हर्षमणि कोठियाल, पौत्र श्रीमती बसन्ती देवी, भवन संख्या ८१, गली सं० १४,
सुभाष बनखंडी, ऋषिकेश का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक ०६.०४.२०२२ इस निदेशालय को सम्बोधित है
तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक १८.०४.२०२२ को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी
सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्ता अनुरोध पत्र दिनांक ०६.०४.२०२२ संलग्न कर
आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-२००५ की धारा ६ (३) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया
जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना, अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध
कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रु० १० भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
"५६८ ३६२७०८" इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

*Mailbox
२०/०४/२०२२*

dc

भवदीय,

19/4/22
(जगत मोहन जाशी अधिकारी
लोक सूचना अधिकार, पेशन एवं हकदारी
उप कोषाधिकारी
०१३५/२२२६८२८

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कोषागार देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 2- श्री हर्षमणि कोठियाल, पौत्र श्रीमती बसन्ती देवी, भवन संख्या ८१, गली सं० १४, सुभाष बनखंडी,
ऋषिकेश को सूचनार्थ प्रेषित।

dc

19/4/22
(जगत मोहन जाशी अधिकारी
लोक सूचना अधिकार, पेशन एवं हकदारी
उप कोषाधिकारी रुड, देहरादून
०१३५/२२२६८२८

श्रीजननी STO

FDC (प्रतिक्रिया करने का दृष्टिकोण)
Photo ~~कृति~~ दृष्टिकोण
सुचना का अनुरोध-पत्र

संभवद्वारा-मामला

(अनुग्रहित आर-60) सूचना का अधिअधिनियम-2005)

प्राप्ति,
भीमन निदेशक / लोकसूचना अधिकारी
कोषागार एवं वित्तीय देवारें (पेशान एवं हकदारी)
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला (दै. पूर्व)

महीम्य, कृपया निम्नवत् विविच्छेदों पर सूचना प्रकट करने का
काट करें। बायकोषागारों

1. राज्य कोषागारों में आने लाइन भूगतान सेवा 'ई-पेमेंट' के शुआंरम्भ का द्विंदुः एवं वर्ष, तत्काल में पारित आदेश व जनपद स्तर लागू करने का द्विंदुः, अभिलेख प्रकट करें।
2. निदेशालय स्तर पर 'डाटा-सेंटर' की स्थापना संबंधी आदेश का अभिलेख प्रकट करें।
3. इस सेंटर में तैनात कार्मिकों/आपरेटर्स की शैक्षिक व्यवस्थाएँ, एवं नियुक्ति का प्रकार 'के प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराएं।
4. कार्मिकों/आपरेटर्स द्वारा कोषागार/उपकोषागारों से प्राप्त डाटा-पेमेंट प्रमाणिकरण-प्रक्रिया के स्तरों की पूर्णजानकारी संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराएं।
5. उक्त काम में विभागीय स्तर पर वैबसाइट निर्माण एवं स्थापना, संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराएं।
6. किस कम्पनी/रेजेन्सी द्वारा (एक या अधिक) उक्त वैबसाइट/साप्टवेयर का निर्माण किया गया, संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराएं।

Govt Work

7. उत्तरारकण्ड राज्य में अवहित कुल कोषागार/उपकोषागारों की जनपदवार सूचि एवं पता, उत्कानुसार पदस्थापित वर्षे कोषाधिकारीओं/उपकोषाधिकारियों। सजायन कोषाधिकारियों के नाम, जो वर्ष 2016-2017 से वर्ष 2021-2022 के मध्य तैनात रहे। प्रमाणित सूचि उपलब्ध कराएं।
 8. बिन्दु सं.-7 से संबंधित समस्त पदस्थापनों के वेतनमान का अभिलेख उपलब्ध कराएं।
 9. बिन्दु सं.-7 में दर्शित पदस्थों से अन्य, कार्मिकों की (यथा लेखाकारों) के दायित्वों की परिस्थिति का अभिलेख उपलब्ध कराएं।
 10. उक्त क्रम में, विधिपूर्वक वित्त-संचयन हेतु आवेदन प्राप्ति के, आवंटन की प्रक्रिया संबंधी विनियम एवं आदेशों की प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराएं।
 11. आरोही क्रम में निदेशालय स्तर तक पद एवं गोपनीयता संबंधी नियम/उपनियम एवं कार्मिक आदेशों की पूर्ण प्रमाणित पत्रावली उपलब्ध कराएं।
कृपया चाही जगी सूचनाएं समरबद्ध रूप से प्रकट करें।

संख्या: ९९९७३ २२२९५

अनुग्रह कर्ता
राजपाल रणा
(कड़ि. नं. 1, ठाकुरपुर
पो.- सत्यनारायण मन्दिर
नवीकोटा (दि. दून))

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र :-

कार्यालय का नाम व पता:- निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: ५५७ / ०७ / १८.०४.२०२२ / नि०को० / आर.टी.आई. / २०२२ दिनांक: २२ अप्रैल, २०२२

रोवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
समस्त कोषागार,
उत्तराखण्ड।

कृपया श्री राजपाल राणा, घार्ड नं० १, डाकुरपुर, पो० सत्यनारायण मन्दिर, ऋषिकेश, देहरादून का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक ०४.०४.२०२२ जो कि इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक १८.०४.२०२२ को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी बिन्दु संख्या ७, ८ व ९ की सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक ०४.०४.२०२२ संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-२००५ की धारा ६ (३) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी बिन्दु संख्या ७, ८ व ९ की सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रु० १० पौस्टल आर्डर संख्या ५१६ ६८११२८ इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(जगत भैहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
०१३५ / २२२६८२८

संख्या व दिनांक उपत्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री राजपाल राणा, घार्ड नं० १, डाकुरपुर, पो० सत्यनारायण मन्दिर, ऋषिकेश, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

०८

(जगत भैहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
०१३५ / २२२६८२८

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 907 / 07/18.04.2022 / निको०/आर०टी०आई०/2022

दिनांक: 11 मई, 2022

श्री एडवोकेट राजपाल राणा,
वार्ड नं० 1, ठाकुरपुर,
पौ० सत्यनारायण मन्दिर,
ऋषिकेश, देहरादून।

कृपया अपने सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 04.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 18.04.2022 को ग्रापा/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 11 बिन्दुओं में सूचना की नांग की गयी है। उक्त सूचना के बिन्दु 07, 08 व 09 लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी समस्त कोषागार उत्तराखण्ड को पत्र संख्या 447 दिनांक 22 अप्रैल, 2022 द्वारा पूर्व में ही आंशिक सूचना उपलब्ध कराने हेतु हस्तान्तरित किया जा चुका है।

बिन्दु 01—के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 03 / XXVII(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी, 2013 की प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ-07) निशुल्क संलग्न है।

बिन्दु 02— के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 5098 / वि०स०शा०/2001 दिनांक 19 जून, 2001 की प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ-02) निशुल्क संलग्न है।

बिन्दु 03— शासकीय कर्मचारी तथा तकनीकी हेतु कार्यालय आदेश व अनुबन्ध पत्र की प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ-23) निशुल्क संलग्न है।

बिन्दु 04— क्रमांक 1 तथा आनलाईन विभागीय वेबसाईट ekosh.uk.gov.in में आई०एफ०एम०एस० से सम्बन्धित शासनादेशों को जन सेवार्थ (Public domain) में अभिरक्षित है। जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

बिन्दु 05 व 06— के सम्बन्ध में श्री शशांक कोना, क्षेत्रीय निदेशक, मै० टेक्नोफ्रेन इण्डिया प्रा० लि०, हैंदराबाद एवं मै० इण्डस वेब सॉल्यूसन प्रा०लि० को निर्गत कार्यालय आदेश की प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ-13+15=28) निशुल्क संलग्न है।

बिन्दु 07, 08 व 09—पूर्व में हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। (प्रतिलिपि संलग्न -01 पृष्ठ) तथा राज्य में अवरिथत कोषागार एवं उपकोषागारों की जनपदवार सूची आनलाईन विभागीय वेबसाईट ekosh.uk.gov.in में सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत जन सेवार्थ (Public domain) अभिरक्षित है। जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

बिन्दु 10— बिन्दु 01 व 4 के अनुसार।

बिन्दु 11— बिन्दु संख्या 01 व 04 के अनुसार तथा आनलाईन विभागीय वेबसाईट ekosh.uk.gov.in में आई०एफ०एम०एस० से सम्बन्धित शासनादेश एवं कोषागार कर्मचारी नियमावलियां आदि जन सेवार्थ (Public domain) अभिरक्षित है। जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

(कुल पृष्ठ- 6)

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

मददीय,

(जगत मोहन जोशी)
लोक संघ अधिकारी एवं हकदारी
विभाग उप कार्यालयी, देहरादून
0135 / 2226828

00638
18/04/2022

आज्ञे शी STO

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
कार्यालय-निदेशक (पेंशन)
निदेशालय-कोषागार पेंशन व हकदारी
उत्तराखण्ड-देहरादून।

निदेशक
7

सूचना प्राप्ति हेतु
दिनांक : 04-04-2022
कुल संलग्नक सं.-03

विषय :- लोक सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु।
महोदय,

मैं आपके स्तर से लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न विन्दुओं में वर्णित विषयक सूचनायें उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूँ, जिसका निधारित शुल्क दस रुपये मेरे द्वारा पोस्टल आईर के माध्यम से अदा किया जा चुका है। जिसका नम्बर 56F-440535 है, जो संलग्नक नं० तीन द्वारा आपकी सेवा में प्रेषित है।

1. श्रीमान निदेशक (पेंशन) उत्तराखण्ड स्तर से मेरे शिकायती पत्र दिनांक 01-09-2020 पर कार्यवाही करते हुए श्रीमान महानिदेशक 'विद्यालयी' उत्तराखण्ड अपने निर्देश पत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2020 (संलग्नक नं. 1) पर आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की गयी थी, जो हरिद्वार के तत्कालीन लेखाधिकारी श्री नैथानी के विरुद्ध है, जिसके द्वारा लिपिक अवैध नियुक्ति को संरक्षण देने एवं उसको वेतन आदि से राजकोष का भारी नुकसान पहुँचाने सम्बन्धी प्रकरण है, जो संलग्नक नं. 2 द्वारा साक्ष्यों सहित सहायक निदेशक संस्कृत हरिद्वार द्वारा उनके पत्र दिनांक 20 जुलाई 2020 (संलग्नक नं. 3) के माध्यम से सिद्ध हो रही है।

उक्त प्रकरण पर आपके पेंशन कर्त्तव्य स्तर से श्री नैथानी तत्कालीन हरिद्वार के लेखाधिकारी की पेंशन कटौती, पेंशन रोकने, अनुदान भरपाई हेतु वसूली की वर्तमान स्थिति पर्याप्त निदेशालय स्तर पर जो विद्यमान है, उसकी सूचना उपलब्ध कराकर अनुगृहीत करें।

सूचना उपलब्ध कराकर अनुगृहीत करें।

सधन्यवाद!

अनुरोधकर्ता

राजेन्द्र प्रसाद (वालियान)
'अंगनि सदन' 41, सर्वप्रिय विहार
कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
मो० : 9897306647

श्री नैथानी A.R.
कार्यालय उत्तराखण्ड
निदेशक
18/4/22

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 910 /08/18.04.2022/नि0को0/आर0टी0आई0/2022

दिनांक: 12 मई, 2022

श्री राजेन्द्र प्रसाद, (बालियान)
अंजनि सदन 41, सर्वप्रिय विहार,
कनखल, जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड मो0 9897306647

कृपया आपके सूचना के अनुरोध—पत्र दिनांक 04.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 18.04.2022 को प्राप्त/अकित है। जिसमें आपके द्वारा 01 विन्दु में सूचना की मांग की गयी है।

आतः सूचना निमानुसार प्रेषित है:-

विन्दु 01—उक्त मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या 3454 दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 (पृष्ठ - 01) एवं पत्र संख्या 6790 दिनांक 20 मार्च 2021 (पृष्ठ -01) की प्रमाणित छायाप्रति कुल (पृष्ठ-02) निशुल्क संलग्न है।

श्री नैथानी का पेंशन प्राधिकार पत्र दिनांक 05.01.2019 को निर्गत किया जा चुका है। वर्तमान में निदेशालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित/लम्बित नहीं है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

दिमागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,



(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135 / 2226828

सर्वोच्च न्यायी STO

00953
23/04/2022

१५२१६
७

पंजीकृत

दिनांक 12 अप्रैल, 2022

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय निदेशक, लेखा एवं हकदारी
(पेंशन) डालनवाला, देहरादून

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 के अन्तर्गत आवेदन-
पत्र

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 के अन्तर्गत
निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें :—

1— श्री सुधीर कुमार पन्त वर्ष 2012 में अनु सचिव के पद से उत्तराखण्ड
सचिवालय की राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुये थे। कदाचित वह बाद में
हल्द्वानी में रहने लगे थे। ज्ञात हुआ है कि श्री पन्त का देहान्त हो गया है।
श्री पन्त के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट
करें।

2— रु0 10/- का पोस्टल आर्डर संख्या ५३६-००२२६३ संलग्न है।

मवदीय,

3/4/21
(अहमद अली)

17 नवयुग इन्कलेव, मिलन विहार,
पो० कौवली जी०एम०एस० रोड,
देहरादून
मोबाइल सं० 9412051807

संलग्न २५
२४/४/२२

संलग्न २५
२४/४/२२

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 642 /09/23.04.2022/नि०को०/आर०टी०आई०/2022

दिनांक: २८ अप्रैल, 2022

श्री अहमद अली,
17 नवयुग इन्कलेव,
मिलन विहार, पो० कॉवली,
जी०एस०एस० रोड, देहरादून
मो०न० 9412051807

कृपया आपके सूचना के अनुरोध—पत्र दिनांक 12.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का काष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 23.04.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा श्री सुधीर कुमार पन्त से०नि० अनु संचित के मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01—उक्त मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में कहना है कि इस निदेशालय में ऐसी कोई सूचना धारित/संचित नहीं है। अतः सूचना शून्य है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी

०८० ०१३५/२२२६८२८

श्री जोगी ८५०



गवर्नमेंट पेन्शनर्स वैलफेर ऑर्गनाइजेशन, उत्तराखण्ड

पंजीकृत संख्या 858 दिनांक 7-3-2001

पत्राचार कार्यालय : साकेत लेन-6, 76/129 राजपुर रोड, देहरादून, 248001
संरक्षक - विपिन चन्द्र चंदोला, आई.ए.एस. (से०नि०), देहरादून, मो. 9412902997

प्रदेश अध्यक्ष
जे.एस० जैन
21 अल्पा ओपेक्स
राजपुर, ऊधम सिंह नगर
मो-09412038644

प्रदेश महामंत्री
बची सिंह रावत
टाइप-4, आवास नं.-2
यू.पी.सी.एल. कॉलोनी, 18 ई०सी०रोड, देहरादून।
मो-09412932356

प्रदेश कोषाध्यक्ष
महेश्वर कुमार अग्रवाल
५८६, रामनगर, पौर गुरुकुल
कांगड़ी, ज्वालापुर (हरिद्वार)
मो-09410997333

संस्थापक
डॉ.एस० को० मलिक
राजपुर, मो.-9045937997

वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार यश्वर्ण
भरत लाल साह
राजपुर, मो.-7088222098

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश
मधुसूदन अग्रवाल
हरिद्वार, मो.-9837116374

उपाध्यक्ष कुमार मण्डल
हयाल सिंह तडागी
लोहापाट। मो.-9997368771

प्रभाकर तिवारी
राजपुर, मो.-9690410290

प्रताप सिंह गुडिया
बारोडर। मो.-9927850146

पाव सिंह दीतेला
नीतिलाल। मो.-94111199033

उपाध्यक्ष गणेश
दीपदण्ड शर्मा
देहरादून, मो.-9456493268

जे.पी. शर्मा
राजकी। मो.-9897776353

टीका प्रसाद उगियाल
श्रीनगर गणेश
देवी प्रसाद काला

श्रीनगर गणेश। मो.-9410343923

प्रदेश मंत्री
जे०एन० यादव
देहरादून। मो.-9458156406
7060194324

संगठन मंत्री कुमार मण्डल
चन्द्र वल्लभ चिल्ड्रियाल

राजपुर। मो.-9411300440
भूवन चन्द्र जोरी
खटीया। मो.-9410168826

पूर्ण सिंह जीना
हल्द्वानी। मो.-9410341170

जे०एल० वर्मा
सोमेश्वर। मो.-9410011514

संगठन मंत्री गुरुकल मण्डल
आरटी०अग्रवाल

हरिद्वार। मो.-9719636347
के०एस० रावत

देहरादून। मो.-9917080009
श्रीमती ऊबा अपलियाल

कांगड़ाया। मो.-9412118055
जोत सिंह विष्ट

राजपुराया। मो.-9412972208
प्रदेश मंत्री
गोरखन दास गुप्ता
राजकी। मो.-9927176612

पत्रों का प्रदेश / 134 - (2) - 2022- 23 - अरू।

दिनांक ०२-०४-२०२२

लेखा में

जोक सूचनादिकारी

८० निर्देशक क्र०कारा० वैशं रघु दक्षारी उत्तराखण्ड
२३ लल्लभ रोड डालन बाला० देहरादून

००९५८

२३/०४/२०२२

भूमोदय,

कृपया सूचनादिकार अधिकारी - २००५ के अन्तर्गत^१
उत्तराखण्ड राज्य के लाल कोली के कोलागारों से बेघन भान वले बेघनवे
भारी बारी के बेघनवे के सम्बन्ध में कोलागार वाइ विवरण निम्न तरफ़ेर में
में दिया गया ।

सूचना

क्र०से-	कोलागार का नाम	विमान/ऐस्ट्रा/ फोटोलिम का नाम ग्रिसको ०१-१-२०१६ से पेंचन तुलसीधार करना था	२०१० आ० २०५/xxvii (१६) / २०१८-२७ (४) २०१७ विवें अनुग्रह १८ देहरादून दिनों १५ अक्टूबर २०१७ के अनुधृत मुक्ति दिन ०१-०१-२०१८ से पुरुषोंका
१			प्रियंका बंशनी की उपरोक्त उपरोक्त मात्र तारे पेंचन तुलसीधार कुर्सियोंवाले कुप्रियंका बंशनी
२			प्रियंका बंशनी उपरोक्त उपरोक्त मात्र तारे पेंचन तुलसीधार कुर्सियोंवाले कुप्रियंका बंशनी
३			
४			
५			

संलग्न - दल समेत का अंस्टर्ट अटर ५६F ३७८०८६

प्राप्ति देश
७५ एकाह मोबाइल के छला छली। रिपोर्ट
की अंतिम हो
२४/०४/२२

प्रदेश भव्यक्ष जे.पी.ओ. ३१२०
आरटेक्स
२१ अल्पा ओपेक्स रिपोर्ट
राजपुर (उत्तराखण्ड)
PIN 263153

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 494 / 11 / 23.04.2022 / नि०को०/आर.टी.आई./2022 दिनांक: 25 अप्रैल, 2022

सेवा में,


लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
समस्त कोषागार,
उत्तराखण्ड।

कृपया श्री जे०एस० जैन, प्रदेश अध्यक्ष, गो०पे०व०आ०, उत्तराखण्ड, 21 अल्फा, औमेक्स रिवेरो, रुद्रपुर, ऊधमसिहनगर, 263153 का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 02.04.2022 जो कि इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 23.04.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 02.04.2022 मूलरूप में संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रु० 10 पोर्टल आर्डर संख्या 56F 378086 इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।


संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,


(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
०१३५/२२२६८२८

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री जे०एस० जैन, प्रदेश अध्यक्ष, गो०पे०व०आ०, उत्तराखण्ड, 21 अल्फा, औमेक्स रिवेरो, रुद्रपुर, ऊधमसिहनगर, 263153 को सूचनार्थ प्रेषित।


(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
०१३५/२२२६८२८

०१८

मंजीकृत

कार्यालय लोक सूचनाधिकारी / कोषाधिकारी नैनीताल।

पत्रांक— २२१ /लो०सू०अ०/कोषा०/२०२२-२३/

दिन १२०५/२०२२

विषय— सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सेवा में,

श्री जौ०एस० जैन
प्रदेश अध्यक्ष, गो०प्य०व०आ०८०
२१-अल्पगा ओमेक्स रिवेरो
रुद्रपुर (उद्धम सिंह नगर)
पिन-२६३१५३

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपका सूचना का अनुरोध पत्र दिन ०२.०४.२०२२ जो लोक सूचनाधिकारी / निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी, २३-लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून के पत्रांक-४९४ / दिन २५.०४.२०२२ (मेल) द्वारा अन्तरित होकर इस कार्यालय में दिन २५.०४.२०२२ को प्राप्त हुआ है के द्वारा मॉगी गई सूचना का विवरण निम्नवत् है।

विन्तु सं० ०१— कोषागार अभिलेखों में वांछित सूचना धारित नहीं है।

यदि आप उक्त सूचना से सन्तुष्ट न हों तो पत्र प्राप्ति के ३० दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी नैनीताल के समक्ष अपील कर सकते हैं।

मवदीय

लोक सूचनाधिकारी
कोषाधिकारी
Treasury Officer
NAINITAL।

प्रतिलिपि— लोक सूचनाधिकारी / निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी, २३-लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

कोषा०एस०

०२७६६
२४/०५/२०२२

क्रमांक २५
पत्रांक प्राप्ति दिन
२५/०५/२२

लोक सूचनाधिकारी
Treasury Officer
NAINITAL

११०५/२२

सेवा मे.

भोक सुन्धना आधिकारी

प्रमुख अधिकारी / क्रमागांठवाल

भोक नियमित रिभाग देहरादून

विषय - उचित आधिकारी 2005 के अन्तिम सूचना उपलब्ध कराने के लिए
उपरोक्त विभाग आधिकारी के अन्तिम सूचना उपलब्ध कराने का
लाल कोड करे।

① पहाड़क 47B/22 घटक - 47/24 19 जून 2021 के टल नं. 115,707.00
की गई लोटों का इस तिथि की अपेक्षा अप्रैल में भी

2) प्राप्ति की अपूर्ण सेवा का रिभाग ने सत्यापित किया

(2) इसे 30/01/2022 को इस तिथि की अपेक्षा अप्रैल में भी लागू किया जाएगा।

4. 31.12.2021 को केवा से बेदा रिभाग ने इसे अप्रैल में लागू किया।

91 17.4.15 5. देवा प्रैरुत कार्यालय के अन्तर्गत वह जो लोगों की
वज्ञ है उसे को जो नक मिल जाता है।

6. सेवा प्रैरुत ने 2020 नागरिकों की सूचना विभाग को प्रैरुत

48 दिनों तक

दिनों - 45/10/2021
मुख 7895251761

Motriya Road

Luxman Chawla

73/50

B-112/04/22 DDW

248301

24/04/2021

10.04.21 दिन तक
सेवा प्रैरुत अप्रैल में लागू किया जाएगा।

63 (4162)

12/04/22

प्रभागी क्रमांक

महत्वपूर्ण / समयमंद

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431



लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय प्रमुख अधिनियम एवं विभागाध्यक्ष,
“सूचना प्रकोष्ठ वर्ग”
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-eicpwd@nic.in

पत्रांक- ३४५ / ६३(४१६२)सू०अ० / २०२२
सेवा में,

दिनांक- १२ / ०४ / २०२२

अधिकारी अभियन्ता, (प्रथम)
विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०
देहरादून।

सहायक लेखाधिकारी,
लेखा / बजट वर्ग,
विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०,
देहरादून।

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अनुरोधकर्ता श्री राकेश कुमार जैन, 73/50, मालवीय रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून-248001 का सूचना अनुरोध पत्र दिनांक-12.04.2022 जो इस कार्यालय में दिनांक-12.04.2022 को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना व्यवस्थापन क/कैश/बजट वर्ग से सम्बन्धित है।

अतः वांछित सूचना अभिलेखों की पठनीय/प्रमाणित प्रति सहित दिनांक-14.04.2022 तक सूचना प्रकोष्ठ वर्ग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि आवेदक को अभिलेखीय सूचना भी प्रेषित की जानी हो, तो अभिलेखीय सूचना के पृष्ठों की संख्या से भी उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व इस वर्ग को अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि आवेदक को निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि जमा करने हेतु सूचित किया जा सके।

संलग्न-यथोपरि।

(इ० मुकेश परमार)

लोक सूचना अधिकारी / वरिष्ठ स्टाफ आफिसर
कार्यालय प्रमुख अधिनियम एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि-वरिष्ठ/प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन क/कैश वर्ग को अनुरोधकर्ता के सूचना अनुरोध पत्र दिनांक-12.04.2022 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना अभिलेखों की पठनीय/प्रमाणित प्रति सहित निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न-यथोपरि।

प्रतिलिपि:- कैशियर, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवेदक द्वारा अधिनियम के नियमानुसार उपलब्ध कराये गये नकद रु० 10.00 को अधिनियम के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-नकद रु० 10.00

प्रतिलिपि:- लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय निदेशालय कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून को अनुरोधकर्ता श्री राकेश कुमार जैन के सूचना अनुरोध पत्र दिनांक-12.04.2022 की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित करते हुए संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गयी विन्दु सं०-०३ व ०४ की सूचना आपके कार्यालय स्तर से दी जानी है अतः सूचना समयान्तर्गत अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

प्रतिलिपि:- श्री राकेश कुमार जैन, 73/50, मालवीय रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून-248001 को उनके सूचना अनुरोध पत्र दिनांक-12.04.2022 के कम में इस आशय से प्रेषित कि आपके द्वारा चाही गयी विन्दु सं०-०३ व ०४ की सूचना हेतु प्रकरण सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को धारित सूचना आपको पृथक से प्रेषित कर दी जाएगी।

✓

पंजीकृत

पंजीकृत

आवेदक से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय निदेशालय कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून के स्तर से दी गयी सूचना से सन्तुष्ट न हों तो, सम्बन्धित कार्यालय के अपीलीय अधिकारी के समक्ष सूचना प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

8
12-4-2022
(इ० मुकेश परमार)
लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर
कार्यालय-मुख्य अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष
144/2

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: ३५६ / १२ / २३.०४.२०२२ / नि०को० / आर०टी०आई० / २०२२

दिनांक ०४ मई, २०२२

श्री राकेश कुमार जैन,
७३ / ५०, मालवीय रोड,
लक्ष्मण चौक, देहरादून।

कृपया अपने सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 1204.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या: ३८४ / ६३(४१६२)सू०आ० / २०२२ दिनांक 12.04.2022 के द्वारा अनुरोधकर्ता को ०३ व ०४ की सूचना उपलब्ध कराने हेतु इस निदेशालय को हस्तान्तरित की गयी है, जो इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 23.04.2022 को प्राप्त/अंकित है।

विन्दु ०३ व ०४ – के सम्बन्ध में इस निदेशालय के पत्र संख्या ६८४० दिनांक १५ फरवरी, २०२२ (पृष्ठ ०१), प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग देहरादून के पत्र संख्या १२६ दिनांक ०७.०४.२०२२ (पृष्ठ ०१) एवं पी०पी०आ०० (पृष्ठ ०२) की कुल ०४ पृष्ठों की प्रमाणित छायाप्रतियां निशुल्क संलग्न हैं।

३. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से ३० दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,



(जगत माहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी /
उप कोषाधिकारी
०१३५ / २२२६८२८

संग्रहीत दिनांक

पेंशन दिनांक

23 - लक्ष्मी रोड, इलाहाबाद

दृष्टिकोण

नियम

विधि - पेंशन विधि / ग्रन्ति से हुई रु 194661/-
वीधाराकी के रिकवरी के सन्दर्भ में / RTI द्वारा हुई

महोदय

कापूर द्वारा संख्या PPO UK/13/31/10/2019/38503

CIRD No - E04302980 के तुलना में प्राची की ३०/१२/२०२०

वीधाराकी द्वारा परालू रु. 194661/- वीधाराकी
आतिरिक्त छुट्टी की वसूली कर ली गई।

प्राची को उत्तम क्षेत्र में घरवाली की रुकावी
प्रोत्तिवेतन जा सकता हुआ वा जिसमें प्राची को संक्षेप
लूप्ति के साथ अपने रहने पर समाप्ति हो जाएगी।
22 b का नाम - दिवा गामा, वार्षिक वेतन लूप्ति रुप्ति दी वेतन अपार्टमेंट
द्वारा नई रिकवरी डार रिकवरी को आदेश देंगे।
पैक्ट सदापूर्वक डार अधिकारी नाम गालुड शाह दिवा के साथ है द्वारा
कहा गया, किसी न के पैक्ट सदापूर्वक गालुड शाह के डार रिकवरी
नाम द्वारा दिवा गया, जिसमें नक्काश के द्वारा दर्शी गयी।

पुनः २५ अप्रैल २२ को महोदय के बाबालाल में उन्नीसी
उत्पादाते से लोरता विकारी श्री नेही से सम्पर्क किया गया,
किसके डारा ८० NO ५६० D. ०२/१२/२००० का उत्तरोत्तर
काले को कहा गया, साथ ही इन्होंने प्रथी बात द्वारा दिवा
का सदाचारी झल्क पैक्ट किया रिकवरी द्वारा की शास्त्रीय
के तहत प्राची की उपराक अनुरागी काढ़ी गई।
अतः महोदय से विवेद द्वारा किए प्राची के वेतन अनुभव

का पुनः निर्धारण किया जाय द्वारा RTI के तहत पेंशन
रिकवरी आदेश दी जाते, शास्त्रीय की दृष्टि किसके अनुसार
रिकवरी की जाति, जिस शास्त्रीय में ५६० D. ०२/१२/२०००
उपराक करना का कारण कहा जाता है, इन द्वारा का १०१-
३५०००० रुपये पर लाभ में रखा जाता है।

R-11-7-2022

(रघुवंश दत्त जेम्हाल)
श्रीकृष्ण अम्बा अम्बा गांव
इलाहाबाद जिला अम्बा
जामुना नदी पर, दृष्टिकोण

17/4/22

निदेशालय कोणार्गार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,

23, लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।

पेंशन निदेशालय से प्रकाशित करते समय निम्नलिखित संदर्भ अवश्य इमित करें।

सेवा में

प्रधानाचार्य,
रा०इ०का० गालबुधार,
जनपद टिहरी।

संख्या: 2521/पेंशन प्रपत्र / 14060/2020-21

दिनांक: 09/09/2020

विषय: श्री रमेश दत्त डोभाल, से०नि० प्रधानाचार्य के ऑन लाईन पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 22/पेंशन/2020-21 दिनांक 09.07.2020 के संदर्भ में
अवगत कराना है कि :-

1 :- शासनादेश संख्या 91/XXVII(6)/2014 दिनांक 17 अप्रैल, 2015 के बिन्दु संख्या- 17 के
अनुसार विभाग के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी से वेतन निर्धारण की
जांच नहीं करायी गयी है इस संदर्भ में प्रमाण-पत्र अपेक्षित है, जो उपलब्ध कराया जाना होगा।
अतः उक्तानुसार लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुए पुनः प्रकरण निदेशालय को
उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नफ-1. समस्त प्रपत्र मूल रूप में।

भवदीय,

०/८

४५२/१९/२०२०

(जितेन्द्र नाथ शर्मा)

सहायक लेखाधिकारी

पत्रांक व दिनांक — तदैव

प्रतिलिपि: श्री रमेश दत्त डोभाल, से०नि० प्रधानाचार्य ग्राम रौणिया, पो०ओ० पाथियाना प्रताप नगर जनपद टिहरी।

०/८

४५२/१९/२०२०

(जितेन्द्र नाथ शर्मा)

सहायक लेखाधिकारी

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:-

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 696

/ 13 / 22.04.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक: 04 अप्रैल, 2022

श्री रमेश दत्त डोभाल,
डोभाल भवन, गिरधर विहार,
हर्वाला, देहरादून।

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 11.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 22.04.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा स्वयं के पेंशन रिकवरी आदेश की प्रति एवं शासनादेश की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त रिकवरी से सम्बन्धित आनलाईन प्रपत्र की प्रति (पृष्ठ 03) शासनादेश संख्या 560 दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 (पृष्ठ-02) तथा विभाग से प्राप्त रिकवरी चार्ट की प्रति (पृष्ठ-03) कुल -08 पृष्ठ की प्रमाणित प्रतियां निशुल्क संलग्न हैं।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नदत्त है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत माहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135 / 2226828

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना अभिप्राप्त करने हेतु आवेदन

02/32
12/05/2022

अंजेयी STO

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
निदेशालय कोषागार पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड
23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला
देहरादून - 248001

निःशब्द
11/22

विषय - निम्न निजी पेशन से सम्बंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 व 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

1. आवेदक का नाम	हरीश चंद्र सक्सेना
2. पिता का नाम	श्री कृष्ण चन्द्र सक्सेना
3. डाक का पूरा पता	विला नं. 215, 216 मेगा इम होम्स, कर्मचारी नगर, मिनी बाई पास रोड, बरेली - 243122 (उ.प.)
4. मोबाइल नं.	9412200467, 8077433879
5. ई-मेल	कोई नहीं
6. मांगी गयी सूचना का व्यौरा	व्यौरा व सन्दर्भ निम्नलिखित है।

महोदय,

आवेदक उत्तराखण्ड पुलिस विभाग का दिसंबर 2001 से पेशनर है। मेरा पी.पी.ओ. नंबर EUCI/002/001438 है।

सातवें वेतन आयोग की संस्थुतियों के क्रम में और शासनादेश के पत्र संख्या 205/XXVII (10) 2018- 27 (08) 2017 वित्त अनुभाग 10 दिनांक 15.10.2018 के अनुपालन में एस.एस.पी. जनपद हरिद्वार ने आवेदक की पेशन पुनरीक्षित करके पत्रांक स -262/2003 (स्थायी) दिनांक 01.12.2021 और फिर दोबारा दिनांक 23.04.2022 निदेशक, पेशन लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून के पास रजिस्टर्ड डाक से, अग्रिम कार्यवाही करने के लिए भेजे थे। यह सूचना आवेदक को लोक सूचना अधिकारी/पुलिस अधीक्षक नगर, हरिद्वार के पत्र पत्रावली संख्या 1298/21 दिनांक 28.04.2022 से दिनांक 02.05.2022 को प्रदान की गयी है। इस पत्र और इसके संलग्नकों की छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

एस.एस.पी. हरिद्वार के उपरोक्त पत्रांक स -262/2003 (स्थायी) दिनांक 01.12.2021 व दिनांक 23.04.2022 के सम्बन्ध में आवेदक निजी सूचनाएं, अंतर्गत धारा 3 व 6(1) आरटी.आई.एक्ट 2005, प्राप्त करना चाहता है। कृपया निम्न सूचनाएं प्रदान करने की कृपा करें।

- (1) एस.एस.पी. हरिद्वार के उपरोक्त पत्रांक स -262/2003 (स्थायी) दिनांक 01.12.2021 व दिनांक 23.04.2022 आपके कार्यालय में किस किस दिनांक को प्राप्त हुए हैं।
- (2) उपरोक्त पत्र पर आपके कार्यालय द्वारा आवेदक की पेशन में सुधार करने और ऐरियर दिलवाए जाने के लिए की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। कृपया कृत कार्यवाही की एक सत्यापित छाया प्रति प्रदान करने का काष्ट करें।
- (3) पत्र उपरोक्त पर अपेक्षित कार्यवाही किस स्तर पर लंबित है।

श्री वेलताल Atto
लला देवला उपलब्ध कराने
कानूनी १०.१०.२०२२

7. क्या वांछित सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बंधित है नहीं
8. जमा किये गए शुल्क का ब्लौरा रूपये 10/- (दस रुपया) का पोस्टल आर्डर नंबर 53F054462 संलग्न है।
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है नहीं
10. संलग्नकों का सूची 1. उपरोक्त पोस्टल आर्डर - 1 पृष्ठ
2. पत्र पत्रावली संख्या 1298/21 दिनांक 28.04.2022 की छायाप्रति मय संलग्नक कुल पृष्ठ 7 पृष्ठ

स्थान: द्वारली

दिनांक: 6. 5. 2022

H. Chapeau
हरीबा - च-डू सकलना
(आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर)

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:-

निदेशालय कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: १३०२

/ 14 / 12.05.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक ३० मई 2022

श्री हरीश चन्द्र सक्सेना,
विला नं० 215, 216,
मेगा ड्रीम होम्स, कर्मचारी नगर,
मिनी बाई पास रोड,
बरेली, पिन कोड- 243122

कृपया अपने सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 06.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 12.05.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 03 विन्दुओं में सूचना की मांग की गई है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

विन्दु 01 - एस०एस०पी० हरिद्वार का पत्र दिनांक 01.12.2021 इस निदेशालय को आतिथि तक प्राप्त नहीं हुआ है एवं पत्र संख्या 262 दिनांक 23.04.2022 इस निदेशालय को दिनांक 12.05.2022 को प्राप्त हुआ जिसकी प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ-01) निशुल्क संलग्न है।

विन्दु 02 व 03 - के कम में इस निदेशालय के आपत्ति पत्र संख्या 1092 दिनांक 20 मई, 2022 जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद हरिद्वार को सम्बोधित है तथा आपको पृष्ठांकित है, की प्रमाणित छायाप्रति(पृष्ठ-01) निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत साहन जाती)

लोक सूचना अधिकारी

उप कोषाधिकारी

०१३५ / २२२६८२८

०८

~~02053
9/15/22~~ ये चौथे अंतर्गत

२१७८

શ્રીમાત્જનાનાના આધુકારી

ଓপରେ କାନ୍ଦିବାକୁ କାହାମୁହିଲା କହିଲା.

ଛୁଳକାରୀ ୨୩, ଲେଖନା କେତେ ଡାଲନ ବାଲା।

CE219-1

विधायः :- राज्यवाच कार अधिकार अधिकारीयम् २००५ का वारा ६ के

नम्रांगली ३४२१ नम्रांगली ३४२१ विवरण का आवश्यकतार ००५ का वार्ता
 देके अंतपाल नम्रांगली आवश्यक शासक दूर पथ १०/- देवदारपाल
 मास) का पाइलो ३१५८ आपले पहां से दय पाई-पाल आउले
 छांडा ५६F १२२२३० नम्रांगल ०९/०५/२२ लंबवाल घटक
 अन्नसाध के साथ प्राप्त है कृष्णा नम्रांगल दूर-वाला विवाह-
 - नम्रांगल उपलब्ध कराने की कृपा करे
 निवारक दूर-वाहन।

१८८२-८३

उत्तराखण्डी अमियला अ-प्र० ५४५ मंडार रुक्षर - ३ बालांगड़ न
अधिक पश्चिम ११८७ / के. म. रुक्षर - ३ / उ. ला - २ / पश्चान / लंदुराम
३. १२. २०२१ गुन्जत निकापा वा निकापा पश्चान पश्चाद्वारा लंदुराम
प्रकरण आपके कापालप को राजीव डाक हासा प्राप्त
कर दिया गया है। अतः इस संबंध में आप निप्रालभत
हुएना उपलाद्य करने की कृपा कर
(ii) उत्तर पश्चिम प्रकरण (पश्चाद्वारा) पर आपके कापालप ०५१२।
जाया कापालप की राई है
पश्चाद्वारा प्रकरण लंदुराम कापालप है।

प्राचीन वेदी शब्दों के अर्थों का सामान्य विवरण

सन्धान उपलब्ध कराने में शहर की सभा है। अपवाहन का लाभित विधि द्वारा आक्रमित राजनीति का विवरण है। इसके अलावा अन्य विधि द्वारा आक्रमित राजनीति का विवरण है।

हिन्दू धर्मका :- राजनीति वाले आदर्श

(2) युवती पत्नी का दाया छोटलाला
 (उत्तरार्थी (दूजी))

असम उत्तराखण्ड
- असम उत्तराखण्ड

कोटि :- काटा - उड़ा

जनपदः- दिल्ली।
- १५. १९३७ अंडा. पर.

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: /453

/ 15 / 19.05.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक ०४ जून, 2022

श्री असमत उल्ला खाँ,
निवासी— मौहल्ला भिर्जापुर,
पो०—बसी किरतपुर, जनपद विजनौर,
उत्तर प्रदेश।

कृपया आपके सूचना के अनुरोध—पत्र दिनांक 10.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर छायाचित्र में दिनांक 19.05.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 02 बिन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01 व 02—उक्त मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या 1358 एवं पत्र संख्या 1359 दिनांक 31. मई, 2022 की प्रमाणित छायाचित्र कुल (पृष्ठ-02) निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,



(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135 / 2226828

02770
24/05/2022

श्री जोशी 570

प्र० ५७०
५/२२

(पंजाब)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
निदेशक डाटा सेंटर
23-A लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेशन संसोधन विषयक सूचना चाहने के संबंध में

महोदय,

कृपया उप शिक्षा अधिकारी आहरण वितरण अधिकारी, विकास खण्ड द्वारिखाल पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक 131/
पुन. 2020-21 दिनांक 15-06-2020 एवं पत्र संख्या 977/ पेशन पुन. / 2020-2021 दिनांक / 5-3-21 का संदर्भ
ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आपको संबोधित एवं प्रतिलिपि मुझे भी पृष्ठाकित है के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत उक्त संदर्भित दोनों पत्रों पर की गई कार्यवाही की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संबंधित पत्रों की छायाप्रति आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर पेशित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

1) उप शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) द्वारिखाल पौड़ी गढ़वाल के दो पत्र

2) पोस्टल आडर संख्या - 56F427711, 56F227712

श्री जोशी 570
श्री लक्ष्मी रोड नामक स्थान के पास
ठाना ठाना २२/०५/२२

भवदीय

(जगन्नाहन सिंह नेगी)

गाम - शिव्वूनगर देवी रोड
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड
पिन-246149

संलग्नक 10
अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

पंजीकृत

कार्यालय का नाम व पता:-

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1966 / 16/24.05.2022/नि०को०/आर०टी०आई०/2022

दिनांक: 20 जून, 2022

श्री जगमोहन सिंह नेगी,
ग्राम शिव्वनगर देवी रोड,
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड।

कृपया आपके सूचना के अनुरोध—पत्र दिनांक रहित का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 24.05.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा पत्र संख्या पत्र संख्या 131 एवं ९७७ दिनांक 05.03.2021 पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01— वांछित सूचना के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या 2598 दिनांक 11.09.2020 एवं डेटा सेन्टर के मेल दिनांक 17 जून, 2022 की प्रमाणित छायाप्रति निशुल्क संलग्न है। (कुल पृष्ठ -02)

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत माहर जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135/2226828

०२८०।
२६/०५/२०२२,

पंजीकृत

मिट्रियु
३

सेवा में,

अपर निदेशक,
कोषागार पेन्शन एवं हकदारी उत्तराखण्ड,
23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

विषय - पेन्शन (स्वीकृति आदेश दिनो 30.12.2020) से रिकवरी धनराशि के वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपकोषागारी / लोकसूचनाधिकारी कोषागार लक्ष्मी रोड देहरादून के पत्र सं० - ६९६ / १३ / २२.०४.२०२२ / नि० को / आर०टी०आई० दिनो ०४.०५.२०२२ के क्रम में सूचित करना है कि

- प्रार्थी को घ्रेषित पत्र में तीन पृष्ठ पेन्शन प्रपत्र तथा तीन पृष्ठ रिकवरी चार्ट एवं दो पृष्ठ शासनादेश सं० ५६० / दस-४५ (एम०) ९९ दिनो ०२.१२.२००० प्राप्त हुआ है।
- इसमें कही भी किसी भी अधिकारी का कोई भी आदेश संलग्न नहीं है जिसमें प्रोन्नति वेतन मान पर एदी गई वेतन वृद्धि वापस लेने का आदेश हो।
- ना ही उपरोक्त शासनादेश में कोई ऐसा उल्लेख है, अपितु शासनादेश के प्रकाशित (हाईलाइटेड) पैरा प्रार्थी के प्रोन्नति वेतन मान पर दिये गये वेतन वृद्धि को उचित दर्शाते हैं।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी के पेन्शन से जो धनराशि वसूल की गयी है उसकी वापसी का आदेश निर्गत करेंगे।

अथवा

सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी से वसूल की गई धनराशि के वास्तविक कारण से अवगत करवाने का कष्ट करेंगे। इस हेतु रु० १०/- का ईस्टाम्प साथ में संलग्न है।

दिनांक - १७-५-२२

संलग्नक

- शासनादेश ५६० दिनो ०२.१२.२०००
- रु० १०/- ईस्टाम्प/ पोस्टल ऑडर
न० ५६८ ४१३२५०

प्रार्थी
रमेश दत्त डोभाल
पूर्व प्रधानाचार्य
राजकीय इंटर कॉलेज
गालुडघार (प्रतापनगर)
ठिहरी गढ़वाल

श्री रमेश दत्त
क्रृष्णनगर कॉलेज
गालुडघार (प्रतापनगर)
ठिहरी गढ़वाल
दिनांक १७-५-२२

संलग्नक 10
अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

पंजीकृत

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1967 / 17/26.05.2022/नि०को०/आर०टी०आई०/2022

दिनांक २० जून, 2022

श्री रमेश दत्त डोभाल,
डोभाल भवन, गिरधर विहार,
हर्दियाला, देहरादून।

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 17.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की काम्यूटर डायरी में दिनांक 26.05.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा स्वयं के पेंशन रिकवरी से सम्बन्धित आदेश की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

वाचित सूचना के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त रिकवरी से सम्बन्धित आनलाईन प्रपत्र की प्रति (पृष्ठ 03), विभाग से प्राप्त रिकवरी चार्ट की प्रति (पृष्ठ-03) एवं निदेशालय के पत्र संख्या 2521 दिनांक 09.09.2020 (पृष्ठ- 01) की प्रमाणित प्रतियां निश्चल्क संलग्न हैं। (कुल -07 पृष्ठ)

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निन्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत माहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135/2226828

श्री ज्ञेश्वर STO

02810
26/05/2022

सेवा में

मिट्टी का

निकेतन कोषागार संबंधी फक्त दस्तावेज़ उत्तराधिकार 23 बालकों की डालनवाला देवानगर

विषय- मुचना उपाधिकार आधीन यम २००५ के अन्तर्गत लिन्दुवार मुचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

① आन्तर्म नारू जारी की गयी लेखांगार (लेखांगी) की विभिन्नता मुचना की प्रभावित प्रति,

② आन्तर्म नारू लेखांगार (लेखांगी) के सहायक कोषाधिकारी के पद पर पदोन्नीत हुई D.P.C वीडियो जोने हुई ग्राम्य/सीविलिय की प्रीष्ठि पत्र की द्वाया प्रति उपलब्ध कराने का काढ़ करे.

③ D.P.C (पदोन्नीत कमीटी) में बीठने / समझौते कर्मचारी / उपाधिकारियों के नाम संबंध D.P.C की दिव्यांगी / देवानगर से अन्तर्म नारू कराये जाने का काढ़ करे

④ D.P.C (पदोन्नीत कमीटी) हारा सहायक कोषाधिकारी के पद पर पदोन्नीत हुई बनाये गये पर्ट अवास इंडिया की प्रभावित प्रति उपलब्ध कराये जाने की कृपा करे,

D.P.C जो उपर्युक्त D.P.C (पदोन्नीत कमीटी) हारा सहायक कोषाधिकारी के पद पर अमीर्य घोषित कर्मचारीयों के नाम उपलब्ध कराने का काढ़ करे,

दिनांक 17-5-2022

निर्धारित मावश्यक दृष्टि
सलाल ओस्टल डॉकर

- ① ५९२७४५
- ② ५९२७४६
- ③ ५९२७४४

ग्रामी
ज्ञेश्वर

विकाश कुमार साह
पता - लेखांगार
कोषागार, उद्यमी महल मार
सन्तुपुर

श्री ज्ञेश्वर STO

काम्यात पुस्तक
प्रस्तुति का

8.1.0.
26/05/22

संलग्नक 10
अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

पंजीकृत

कार्यालय का नाम व पता:-

निदेशालय कोषागार, पैशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2061 / 18 / 26.05.2022 / नि०को० / आ०टी०आई० / 2022

दिनांक: 23 जून, 2022

श्री किरण कुमार साह,
लेखाकार, कोषागार,
उधमसिंहनगर।

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 17.05.2022 का संदर्भ यहाण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 26.05.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 05 बिन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

अतः पटल द्वारा प्राप्त सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01— के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है जिसकी प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-3) निशुल्क संलग्न है।

बिन्दु 02 व 03— के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है जिसकी प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-4) निशुल्क संलग्न है।

बिन्दु 04 व 05— सूचना संलग्न है जिसकी प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-4) निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पैशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135 / 2226828

02980
31/05/2022

अमोशी STO

सूचना हेतु अनुरोध

प्रियांक
27/22

प्रेषक

परशुराम भट्ट
गान जाखणी पो.ओ. कीर्तिनगर टिहरी गढवाल ।

सेवा मे

आपर निदेशक कोषागार पैशन एवं हकदारी निदेशालय उत्तराखण्ड
23-लक्ष्मी रोड डालनवाला टेहरादून ।

विषय-सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध

महोदय ,

निवेदन इस प्रकार है कि, निम्नान्कित 04 सूचनाएँ, सूचना के अधिकार के अंतर्गत अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने की कृपा करें, इस हेतु दस रुपये का पोस्टल ऑफर अनुरोध पत्र के साथ संलग्न कर प्रेसित किया जा रहा है, लोक सूचनाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त

01-शासनादेश संख्या -वे.आ. -2/10 -2001 -53-2001 दिनांक 08 अगस्त 2001 की लोक सूचनाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त प्रमाणित शासनादेश की प्रति ।

02-वित्तीय नियम संग्रह खंड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-22 के नीचे अंकित, संपरीक्षा-अनुदेश-4 सहित मूलनियम की लोक सूचनाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त प्रमाणित प्रति ।

03-पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के मूल नियम 22-वी के अंतिम संशोधन का वर्ष ।

04-पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के मूल नियम 22-वी पदोन्नति के असिरिकत जिस जिस प्रकार के दूसरे वेतन निर्धारणों पर लागू किया जा सकता हो उसके बारे मे स्पष्ट सूचना ।

दिनांक 23-05-2022

संलग्न- पोस्टल ऑफर 46F 358071

Prbhatt04@gmail.com, नो. 7579022065

प्रियों
कृपया निम्नान्कित
सूचना की विवरणों को लागू करें।
प.०.
31/5/22

भवदीय/अनुरोधकर्ता
परशुराम भट्ट
सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य
राजकीय इंटरकालेज हिंसरियाखाल
वर्तमाननिवास, जाखणी पो. कीर्तिनगर-249161

संलग्नक 10

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।
(पंजीकृत)
कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट)
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या:४७९५ /20/31.05.2022/नि०को०/आर०टी०आई०/2022 दिनांक: ०४ सितम्बर, 2022

श्री परशुराम भट्ट, से०नि०
हाल निवास-जाखणी कीर्तिनगर,
टिहरी- 249161

विभागीय अपील पत्र संख्या 3614/04/21.07.2021/नि०को०/सू०आ०/विभागीय अपील
/2022 दिनांक 01 सितम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसकी प्रति आपको भी
सम्बोधित है, मैं विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को “ सूचना जिस रूप में
निदेशालय में उपलब्ध हो हस्ताक्षरित कर अपीलकर्ता को पुनः सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने के
आदेश दिये गये हैं।

अतः उक्त के कम में पटल द्वारा प्राप्त शासनादेश व वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड ॥
(भाग 2 से 4) की प्रमाणित छायाप्रतियाँ (पृष्ठ-06) निश्चल संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

भवदीय,

(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
०१३५/२२२६८०७

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि, अपर निदेशक / विभागीय अपीलीय अधिकारी।

०/८

(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
०१३५/२२२६८०७

To,

Public Information Officer
 Directorate of Treasuries, Pension and Entitlements
 Government of Uttarakhand, Dehradun

109935
 31/5/2023
 FDC

Subject: Seeking information for 'SGHS Option' for state pensioner u/s 6(1) RTI Act, 2005.

Dear Sir,

The information is being sought in respect of following pensioner:-

Name: Mr. Hem Chandra Pandey
 Department: Forest Department, Nainital
 Treasury: Koshiyan Kutoli, District Nainital
 GRD No: C01S25776

BACKGROUND

For SGHS (State Government Health Scheme) facilities, the pensioner had earlier opted 'NO' in option form due to ignorance of benefits. However, now the pensioner wants to opt 'YES' to avail the SGHS facilities. Therefore, option form was filled again with 'YES' and sent to Koshiyan Kutoli treasury, Nainital. However, Koshiyan Kutoli treasury has shown inability to update it again to 'YES'.

In this regard, when contacted from email id nptthejourno@gmail.com, we received following reply from treas-fdc-uk@nic.in, Help Desk, Financial Data Center Dehradun on two separate Emails:-

Reply No 1. "Please check there is no provision to correction in this matter in court order." (Screenshot of email is attached as page 4)

Reply No 2. "At present we have no option to change status of Opt in form in GO so please consult with SHA for more information" (Screenshot of email is attached as page 5)

Keeping above case in view and replies given by Help Desk, FDC, Dehradun, you are requested to kindly provide information being sought in attached questionnaire. (*Kindly find attached copy of questionnaire in page no 2 and page no 3*)

Photo Copy of Adhaar Card No 2696 1099 3305, of RTI Applicant Nitin Pandey S/o Hem Chandra Pandey (Pensioner), for verification is attached as page no 6.

If the asked information is not available in your office, kindly forward my application to the concerned public authority, as per 6(3) of RTI Act 2005.

Kindly find attached Postal Order no. 54F 785172.

QUESTIONNAIRE FOR SEEKING INFORMATION U/S 6(1) RTI ACT, 2005

1 Question. Refer Help Desk FDC Email Reply 1 mentioned above. In this email reply, which court order Help Desk, FDC is referring to? Kindly share copy of the Court Order with appropriate reference as cited in the email.

2 Question. Did court order specify on the ruling whether pensioners can re-opt for SGHS scheme once applied NO in option form?

3 Question. If, Yes, share copy of the Court Order of the same which mentions that pensioners cannot re-opt for SGHS Scheme once opted NO in Option Form.

4 Question. If, No, then on what basis/order/ruling pensioners are being denied option to change their choice to opt for SGHS scheme second time?

5 Question. Refer Help Desk FDC Email Reply No 2 mentioned above. Are the pensioners not able to opt for change of option because your computer system/software is not able to provide that option? If, that is not the case, then kindly explain Email Reply No 2 of Help Desk?

6 Question. Is your Office responsible for creating an option in computer/software system to change status for SGHS to Opt In/Out?

7 Question. If, yes, then, is your office creating or has created the same option now?

8 Question. If, No, then, who is responsible for creating the option to facilitate change of choice (second time) for SGHS scheme?

9 Question. Are the responsible authorities been contacted by your office for creating an option to facilitate the change of option (second time) for SGHS scheme? Kindly share copy of correspondence.

10 Question. Refer Help Desk FDC Email Reply No 2 above. In its reply, Help Desk asked to contact State Health Department for more information. How SHA is involved in the process of pensioners Opting for SGHS or not opting for SGHS scheme?

11 Question. Has your office contacted SHA for resolving the issue? If yes, kindly share the copy of correspondence.

12 Question. If NO, then why your office did not contact State Health Department to resolving the issue?

13 Question. How many such applications your department has received so far where pensioners applied second time to change of the option for SGHS? Kindly share details of total cases (in numbers only).

14 Question. How can a pensioner who opted 'NO' in option form for SGHS scheme, can change it to 'Yes' now? Kindly explain the procedure.

15 Question. If, pensioner is not allowed to change the option for SGHS second time, kindly explain why? Also share relevant supporting documents for your reason/argument.

Name of Applicant

Major Nitin Pandey
S/O Hem Chandra Pandey (Pensioner)
H/NO 306, Ananda Apartments
Ranibaag, Kathgodam, Haldwani
Distt: Nainital, Pin: 263126
Mobile: 9756541225/9627461650
Email: NPTHEJOURNO@GMAIL.COM

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र :-

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पैशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1456 / 21 / 31.05.2022 / नि०को० / आर.टी.आई. / 2022 दिनांक: 04 जून, 2022

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (लालै) ज्ञाना क्लासिफ़ियर

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड,
A1 आई०टी०पार्क, सहस्रनगर रोड,
देहरादून।

कृपया मैजर नितिन पाण्डेय, C/o हेम चन्द्र पाण्डेय, पैशनर H/No. 306 आनन्दा अपार्टमेन्ट, रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक रहित जो कि इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 31.05.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक रहित संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रु० 10 पोस्टल आर्डर संख्या 54F 785172 इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(जगत हस्तान्तरित सूचनार्थी प्रियकारी
लोक सूचना अधिकारी / एवं हकदारी
उप कोषाधिकारी, देहरादून
0135 / 2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि मैजर नितिन पाण्डेय, C/o हेम चन्द्र पाण्डेय, पैशनर H/No. 306 आनन्दा अपार्टमेन्ट, रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल को निदेशालय के पत्र संख्या 1371 दिनांक 01 जून, 2022 जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को सम्बोधित है की प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित।

(जगत गोहन जीशी)
लोक सूचना अधिकारी /
उप कोषाधिकारी / सूचना अधिकारी
प्रियकारी निवास, पैशनर एवं हक-
0135 / 2226828
23, लक्ष्मी रोड, देहरादून

सूचना का आवेदन - प्रपत्र
(अहमृत इंगरा - CC) सू. अ. भारतीय - 2005)

अजोगी/SD

प्रेषित

गोपनीय निदेशक / जन सूचना अधिकारी

कोणारक पेंशन संबंध ठक्करारी

२३, लक्ष्मी रोड, डालनकाला (पे.एस) उत्तराखण्ड

मुद्रित
३१/२२

मार्गदर्शक,

कृत्या निश्चित विद्युतीय पर सत्यापित सूचना प्रकार
करना चाहिए।

१. राज्य स्थित किसी कोणारक/उपकोणारक में, कठिन
पेंशन/रीरियर भूगतन संबंधी कदाचार/गवन प्रकरणों
के सामले वर्तमान में प्रांत्यायालय के समक्ष गतिशान
हैं।

- A. भ्रष्ट भूगतनों के क्रम में, जिन्हा कोणारक/उप
कोणारकों के कार्यक्रमों द्वारा, की गयी कूटरचना
का प्रकार,
- B. गवन की गयी घनराशी का विवरण
- C. वसूल की गयी घनराशी का विवरण

IFMS साइटवेबर की उपोदेशन पर प्रश्नान्वयन
लगाने वाले त्रृटिपूर्ण घटकों का तकनीकी
विवरण, (जो जाँच में परिलक्षित हुआ?)

२. भ्रष्ट-भूगतनों में सलिंग कोणारक-कार्यक्रमों का,
एवं कूटरचित बैंक खातों का विवरण,
(जहां घनराशी अन्तरित की गयी)

प्रिया समाजी जी ATO 2.
कृत्यान्वयन लाप संस्कार
प्राकार्यकालीन विवरण
३। ३१/२२

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1487/22/03.06.2022/नि०को०/आरटीआई./2022 दिनांक: 06 जून, 2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
समस्त कोषागार, उत्तराखण्ड।

कृपया एडवोकेट राजपाल राणा, वार्ड न० १ ठाकुरपुर, नेहरूली फार्म, पो० सत्यनारायण मन्दिर ऋषिकेश का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 26.05.2022 जो कि इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 03.06.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक रहित संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की घारा ६ (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का काष्ट करें। सूचना क्रमांक संख्या 02.06 एवं 07 की सूचना निदेशालय से सम्बन्धित है। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रु० 10 पोस्टल आर्डर संख्या 51F681127 इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(जगत मोहन जोशी)
लोकसूचना अधिकारी/हकदारी
निदेशालय कोषागार, देहरादून
उप कोषाधिकारी/दूहरादून
0135/2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि एडवोकेट राजपाल राणा, वार्ड न० १ ठाकुरपुर नेहरूली फार्म पो० सत्यनारायण मन्दिर ऋषिकेश को सूचनार्थ प्रेषित।

(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135/2226828

०७/०६/२०२२

03184
03/06/2022

मोर्शी STO

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
कार्यालय-निदेशक (पेंशन)
निदेशालय-कोषागार, पेंशन व हकदारी उत्तराखण्ड
23, लक्ष्मी रोड, देहरादून।

सूचना प्राप्ति हेतु

दिनांक : 28-05-2022

कुल संलग्नक सं.-01
१३१/२२

विषय :- लोक सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु।

महोदय,

मैं आपके स्तर से लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न विन्दुओं में वर्णित विषयक सूचनायें उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूँ, जिसका निर्धारित शुल्क दस रुपये मेरे द्वारा पोस्टल आर्डर के माध्यम से अदा किया जा चुका है। जिसका नम्बर 56F-440597 है, जो संलग्नक नं. 1 द्वारा आपकी सेवा में प्रेषित है।

- उत्तराखण्ड प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्ति माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त पेंशनधारी शिक्षकों के लिये लागू नियमावली 2018 एवं इसी के साथ उनके भुगतान योग्य अन्य लाभों को मुहैया कराने वाले प्रावधान/शर्तों की प्रकाशित संशोधित नियमावली जो वर्तमान में उपयोग/चलन में हो, उनके प्रमुख विन्दुओं जिनका प्रयोग आपके कार्यालय स्तर से किया जाना जरुरी हो, की छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

अनुरोधकर्ता

राजेन्द्र प्रसाद (बालियान)
28/5/2022

‘अंजनि सदन’ 41, सर्वप्रिय विहार
कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
मो० : 9897306647

छठप्रिया को AAO उपराज्यकाल प्रकाशित करने का लिया गया।

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1940

/23/03.06.2022/निको०/आर०टी०आई०/2022

दिनांक: 18 जून, 2022

श्री राजेन्द्र प्रसाद, (बालियान)
अंजनि सदन 41, सर्वप्रिय विहार,
कन्खल, जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड नौ० 9897306647

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 28.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 03.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 01 बिन्दु में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01- वांछित सूचना के सम्बन्ध में “उत्तराखण्ड सेवा निवृत्त लाभ से सम्बन्धित विधेयक 2018 दिनांक 13 अप्रैल, 2018” की सत्यापित छायाप्रति (पृष्ठ-10) एवं संशोधन 17 अक्टूबर, 2018 की प्रमाणित छाया प्रतियां (पृष्ठ-04) निशुल्क संलग्न है। (कुल 14 पृष्ठ)

- इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत माहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
५०१३५ / २२२६८२८

श्री अमृत STO

स्पीड पोस्ट

दिनांक 03.06.2022

प्रेषक,
श्रीमती गीता जोशी,
25सी० पन्ना लाल रोड, दरभंगा कालोनी
प्रयागराज । 211002

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय, निदेशक, कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23 लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून

महोदय,
आवेदिका को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अनुसार निम्नानुसार सूचनाएं एवं
अभिलेख की प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें :—

1. सचिव, वित्त अनुभाग—६, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा निदेशक, कोषागार, पेशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून को प्रेषित पत्र संख्या—381/
XXVII(6)—एक—1290/2017/2021 दिनांक 31 अगस्त 2021 (फोटो प्रति संलग्न) के अनुपालन में
कार्यालय, निदेशक, कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित पत्रावली में अद्यतन की गयी
लिखा पड़ी से सम्बन्धित सभी अभिलेखों जिसमें उत्तराखण्ड शासन के अन्य विभाग से लिये गये परामर्श
एवं पारित आदेश भी शामिल हो, की प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।

2. सचिव, वित्त अनुभाग—६, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के उपरोक्त पत्र पत्र संख्या—381/
XXVII(6)—एक—1290/2017/2021 दिनांक 31 अगस्त 2021 के प्रस्तार —२ में दिये गये निर्देशों के
अनुपालन में निदेशक, कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में योजित
सिविल अपील संख्या 11527 वर्ष 2014 पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मशी वाईट वाशर एवं अन्य में
मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2014
के सम्बन्ध में शासन से आपेक्षित मार्गदर्शन के बिन्दु का सुस्पष्ट उल्लेख करते हुये अपने मन्तव्य सहित
शासन को प्रेषित प्रस्ताव की प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।

3. मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 11527/2014 (स्टेट आफ पंजाब बनाम
रफीक मशीश (वाईट वाशर) एवं अन्य) (2015) 4 SCC 314 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.
2014 जिसमें मा० उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्ति के उपरान्त शासकीय कर्मचारियों को देय
पेशन एवं ग्रेव्युटी से की जाने वाली वसूली हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये गये हैं :—

"It is not possible to postulate all situations of hardship which would govern employees on the issue of recovery, where payments have been mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to hereinabove, we may, as a ready reference, summaries the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

- 1- Recovery from the employees belonging to class 111 and class 1V service (or Group C and Group D service).
- 2- Recovery from retired employees, or the employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

ठाकुर

श्री नेत्री जी श्री शुभा जी
कृष्णामुखी नारायण कपाल का नाम

- 3- Recovery from employees, when the excess payment *has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.*
- 4- Recovery in cases where an employee has wrongly been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he could have rightfully been required to work against an inferior post.
- 5- In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employers 's right to recover"

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 11527/2014 (स्टेट आफ पंजाब बनाम रफीक मशीश एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2014 द्वारा निर्गत उपरोक्त दिशा निर्देशों को निदेशक महोदय के संझान में लाये जाने के पश्चात निदेशक, कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषागार/कोषधिकारियों को निर्गत आदेश की प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।

4. पोस्टल आर्डर संख्या-56 F 161982 दिनांक 23.06.2022 रु10.00 आवेदन शुल्क के रूप में संगलन है, चुंकि मागी गयी सूचना एवं अभिलेख की प्रक्रिया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के प्राविधानों से आच्छादित है अतः अनुरोध प्राप्ति के निर्धारित समयान्तर्गत वाचित सूचनाएं एवं अभिलेख की प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आवेदिका,

 (श्रीमती गीता जोशी)
 मो०—9415366917
 Email--Yogeshjoshi644@gmail.com

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:-

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2425

/ 24 / 13.06.2022 / नि०को०/आर०टी०आई०/2022

दिनांक: 06 जुलाई, 2022

श्रीमती गीता जोशी,
25 सी० पन्ना लाल रोड,
दरमंगा कालोनी, प्रयागराज,
पिन कोड- 211002

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 03.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 13.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 03 बिन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01 व 02—उक्त दोनो बिन्दुओं के सम्बन्ध में इस निदेशालय के पत्र संख्या 2232/सामान्य पत्राचार/नि०को०प०६०/2021 दिनांक 29 जून 2022 जो अपर संघिव वित्त अनुभाग-6 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सम्बोधित है, की प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ-02) निश्चल संलग्न है।

बिन्दु 03—के सम्बन्ध में सूचना धारित नहीं है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी

प्रेषक

परशुराम भट्ट
जाम जाखणी पो.ओ. कीर्तिनगर टिहरी गढवाल।

सेवा मे

अपर निदेशक कोषागार पैशन एवं हकदारी निदेशालय उत्तराखण्ड
23-लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून।

प्र० ४६
०७/२२

विषय-सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि, निम्नांकित सूचनाएँ, संलग्नक-01 जो आपके कार्यालय के पत्रांक 938/13-05-2022 पर आधारित है, तथा संलग्नक-02 जो, आपके कार्यालय के लोक सूचनाधिकारी के हस्ताक्षरों द्वारा दिनांक 05-01-19 की तिथि पर प्रमाणित है, के आधार पर निम्न सूचनाएँ अनुरोध कर्ता को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें। इस हेतु दस रुपये का पोस्टल ऑर्डर अनुरोध पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न-01 से सम्बंधित आवेदित सूचनाएँ-

- (क) वित्तीय नियम संग्रह खंड -2, भाग -2 से 4 के मूल नियम-22 के नीचे अंकित संपरीक्षा अनुदेश-04 की प्रथम पंक्ति के अनुसार, कोइ वेतन क्रम हाल में आया हो के अनुसार हाल शब्द का अर्थ।
 (ख) वित्तीय नियम संग्रह खंड -2, भाग -2 से 4 के मूल नियम-22 के नीचे अंकित संपरीक्षा अनुदेश 04 के अनुसार कोइ वेतन क्रम हाल में आया हो के अनुसार हाल की अवधि, एक माह, दो माह, तीन माह, एक वर्ष या फिर दस वर्ष के बारे में सूचना, क्योंकि नये वेतनमान दस साल में घोषित होते हैं।
 (ग) यदि वेतन, नये वेतन क्रम के में दो स्तरों के बीच हो तो, उस वेतन क्रम के नीचे स्तर पर निर्धारित किया जा सकेगा, के अनुसार नये वेतन क्रम 7500-12000 के वेतन क्रम पर नीचे का स्तर 7750 होगा या 7500 इसके बारे में स्पष्ट सूचना।
 (घ) वित्तीय नियम संग्रह खंड -2, भाग -2 से 4 के मूल नियम 22 के नीचे अंकित संपरीक्षा अनुदेश-02 एवं 04 के बारे में कभी किसी सक्षम अधिकारियों से पृछा की गई हो तो उसके बारे में सूचना।
 (च) वित्तीय नियम संग्रह खंड -2, भाग -2 से 4 के मूल नियम-22 के नीचे अंकित संपरीक्षा अनुदेश-02 और 04 की सम्पूर्ण व्याख्या।

संलग्नक-2 से सम्बंधित आवेदित सूचनाएँ-

- 02-(क) परिस्थितियाँ, जिनके अनुसार सरकारी सेवक को वैयक्तिक वेतन देकर वेतन निर्धारित किया जाता है।
 (ख): पदोन्नति पर वैयक्तिक वेतन दिये जाने की परिस्थितियाँ।
 (ग): वेतन मान संशोधन पर वैयक्तिक वेतन दिए जाने की परिस्थितियाँ।
 (घ): वित्तीय नियम संग्रह खंड-2, भाग -2 से 4 के मूल नियम-22 के नीचे अंकित संपरीक्षा अनुदेश 04 के 05-01-19 पर विद्यमान रहते हुए भी 6500-10500 के वेतनक्रम में 7900 विना वैयक्तिक वेतन के साथ वेतन निर्धारण के बारे में सूचना।

दिनांक 03-06-2022 ✓

संलग्न- 01-पोस्टल ऑर्डर 51F 682085

02-यथोपरि

अवदीय/अनुरोधकर्ता

[Signature]

परशुराम भट्ट

सेवानिवृत्त प्रधानाधार्य

राजकीय इंटरकालेज हिंसरियाखाल
वर्तमान-निवास, जाखणी पो. कीर्तिनगर-249161

*श्री कैला, A/o
प्रभात भट्ट सूचना निवेदनकर्ता
Prbhatt04@gmail.com, मो. 7579022065
14/6/22*

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कौशागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23. लक्ष्मी रोड, ढालनवाला, देहरादून।

संख्या: २३१२ / २५ / १३.०६.२०२२ / नि०को० / आर०टी०आ८० / २०२२

पुस्तक
दिनांक: 02 जून, 2022

श्री परशुराम भट्ट (से०नि०)
निवासी जाखणी,
पो० कीर्तिनगर,
टिहरी गढ़वाल, 249161

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 03.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निवेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 13.06.2022 को प्राप्त / अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 02 विन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

बिन्दु 02-- के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड II (भाग 2 से 4) के नियम 22 की प्रमाणित छायाप्रतियाँ (पृष्ठ -08) निष्ठाक रांगन हैं।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों व अन्तर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

आपर निर्देशक

कोसागार में आने पर हक्कदारी उत्तराखण्ड,

३३ बस्ती शेष राजनवाला देहादत ।

भवदीय
जगत् ग्राहक सोशी)
लोक संस्कार अधिकारी)
उपर्युक्तो अधिकारी ।
0135 / 2226828

21-09-72

सेवा में

श्रीमान् निदेशक महोदय / लोक सूचना अधिकारी / सक्षम अधिकारी
 निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड
 23, लक्ष्मी रोड, डालनबाला, देहरादून

~~प्रतिरक्त~~ ३१/६२

विषय :— सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 06 (02) के तहत अग्रलिखित विन्दुओं पर सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

विन्दु संख्या 01 :— स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी.आर.एस.0.) लेने के लिए 20 साल पूर्ण होने पर आवेदन करना होता है अथवा 20 साल पूर्ण होने से तीन माह पूर्व आवेदन करना होता है।

विन्दु संख्या 02 :— चतुर्थ श्रेणी (मृतक आश्रित) के पद पर 20 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले की गयी सरकारी सेवा (18 वर्ष की आयु से 20 वर्ष की आयु तक) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी.आर.एस.0.) लेते समय सेवा में पेंशन हेतु गिनी जायेगी अथवा नहीं।

विन्दु संख्या 03 :— स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी.आर.एस.0.) लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

विन्दु संख्या 04 :— 20 वर्ष की सेवा के उपरान्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी.आर.एस.0.) लेने वाले किसी एक कर्मचारी के आवेदन पत्र एवं लगने वाले सम्पूर्ण दस्तावेजों की सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

विन्दु संख्या 05 :— स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी.आर.एस.0.) का शासनादेश जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हो की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

विन्दु संख्या 06 :— यदि विन्दु संख्या 01 से विन्दु संख्या 05 तक मांगी गई सूचना किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबंधित हो तो उनको मेरा प्रार्थना पत्र भेजकर मुझे सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें, तथा साथ ही साथ मेरी सूचना किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी के पास हस्तान्तरित करने की रूचना मुझ प्रार्थी को भी उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

विन्दु संख्या 07 :— आप अपने प्रथम विभागीय अधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल या दूरभाष संख्या एवं पता उपलब्ध करवाने की कृपा करें, साथ ही साथ किलने दिनों के अन्दर प्रथम विभागीय अपील करनी होगी इसकी सूचना भी उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

संलग्न :— भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 56F 329677 दस रुपये मात्र का।

दिनांक :— 03/06/2022

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर :— प्रदीप अग्रवाल

आवेदनकर्ता का नाम :— प्रदीप कुमार अग्रवाल

आवेदनकर्ता के पिता का नाम :— श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल

आवेदनकर्ता का पूरा पता :— प्रदीप कुमार अग्रवाल केयर ऑफ संदीप कश्यप (चाय विक्रेता) निकट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य द्वार, लक्सर तहसील रोड लक्सर, हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) पिन :— 247663

मोबाइल नम्बर :— 8077755055

श्री क्री.एस.०
श्री प्रदीप अग्रवाल नवीन मानविकी

०३०८
३१/६२

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2310

/26/13.06.2022/नि०को०/आर०टी०आई०/2022

दिनांक: ०२ जून, 2022

श्री प्रदीप अग्रवाल,
C/o संदीप कश्यप निकट सामुदायिक
स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य द्वार लक्सर,
तहसील रोड, हरिद्वार
पिन कोड- 247663

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 08.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि
इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 14.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 05
दिनुओं में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

दिनु 01 एवं 05 - के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1844 दिनांक 09 अप्रैल, 2003 की प्रमाणित प्रति
(पृष्ठ-2) निशुल्क संलग्न है।

दिनु 02- के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है जिसकी प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-1) निशुल्क संलग्न है।

दिनु 03 एवं 04- के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 91 दिनांक 17.04.2015 की प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-07) निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत मौहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135 / 2226828

सूचना के अधिकार के कानूनीत अधिकारी सुन्ति पंज - 06-06-22

सेवामें अधिकारीय अधिकारी भवोदय,

कीमाने अपरि निदेशक भवोदय, पंजाब में हकदारी कानून

23 लाखी रुपए डालने वाला एडाक्यूल प्रभ - २५४००।

अहोदय,

सूचना के अधिकार के कानूनीत निभाने सूचना के बीच कुछ
की जाए। प्रथम केविल की सूचना नामिलने पर सुन्तिपंज।

अहोदय,

मैंने 16-02-22 को, आपको निदेशनभवे पर संख्या ८६३१७
दिन १५-जनवरी २२ को अनुधार केवल संख्या १२ पर जाए की भवुत/५
जारीना की थी। आपने सेवाक सर्वों पर जो कार्यकारी
आ कानूनी पारित किया है, उसकी सूचना होने की कृपा
दीजिएगा।

—दिन ०६-०६-२२
मो. ९४५६७२०५५०

प्राप्ति - (फ्रांशन्स्ट्रॉटिंग निष्ठुत)

जाम - दिल्ला योग्योद्याल

पोड़ी इन्डिया डाकघरीपुर २५६५५५

सेवाक : - ① १६-०२-२२ की सुन्तिपंज की कामा प्राप्ति
② १० मी. का पोस्टचर्ज ड्रीडर No ५६ F ४२७९८२
③ अपना पता लिखा लिपापन रजिस्ट्रीशन के साथ
Rs २२/-

—दिन ०६-०६-२२
मो. ९४५६७२०५५०

सुन्ति प्राप्ति
दिन ०६-०६-२२
मो. ९४५६७२०५५०

प्रेषक,

लोक सूचना अधिकारी,
निदेशालय, कोषागार पैशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड
23 लम्ही रोड, डालनवाला,
देहरादून।

संवा में,

श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा,
ग्राम दिचला, पोरो पौखाल,
पीढ़ी गढ़वाल,
पिन-246149

विषय:- सूचना पुनः प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके विभागीय अपीलीय पत्र दिनांक 06.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 14.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा सूचना प्राप्त न होना अवगत कराया गया है।

अवगत कराना है कि आपके अनुरोध-पत्र दिनांक 15.12.2021 जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में 22.12.2021 में अंकित है, के क्रम में सूचना के प्रतिउत्तर में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र संख्या पत्र संख्या 6375/109/22.12.2021/निर्को/आरटीआई/2022 दिन 18 जनवरी, 2022 द्वारा पूर्व में ही सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

अतः पुनः आपके पत्र के क्रम में सुलभ संदर्भ हेतु सूचना आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जगत मालन जोशी अधिकारी
लोक सूचना अधिकारी/प्रबंह हकदारी
निदेशालय कोषागार पैशन/प्रबंह हकदारी
0133/2226828)

७८

सेवा में,

निदेशक,

कोषागार पेशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड।

निदेशक

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि निम्न विन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विन्दु सं० १:- कोषागार उत्तराखण्ड में सहायक लेखाकार एवं लेखाकारों के संघर्गों की संख्या एवं नियामावली/शासनादेश उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विन्दु सं० २:- कोषागार सहायक लेखाकार का उच्चतम पदोन्नति/अन्तिम पदोन्नति के पद की सूचना एवं नियामावली उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विन्दु सं० ३:- जनवरी सन् 1985 से उत्तराखण्ड राज्य गठन की तिथि दिनांक 09.11.2000 तक राजकीय विभागों के लेखासंवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति/सविलयन कोषागार विभाग में की गयी, उनकी संख्या एवं पदोन्नति/सविलयन से पूर्व एवं पश्चात के पदनाम की सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विन्दु सं० ४:- उत्तराखण्ड राज्य गठन की तिथि दिनांक 09.11.2000 से अब तक राजकीय विभागों के लेखासंवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति/सविलयन कोषागार विभाग में की गयी, उनकी संख्या एवं पदोन्नति/सविलयन से पूर्व एवं पश्चात के पदनाम की सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विन्दु सं० ५:- कोषागार सहायक लेखाकार एवं लेखाकार से सम्बन्धित वर्तमान प्रचलित नियमावली उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि उपरोक्त विन्दुओं पर सूचना प्रार्थी को निम्न पते पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सूलग्रनक:- उपरोक्त छेद सं० १ से
५ तक सूचना उपलब्ध कराये
जाने हेतु ₹ ५०.०० के छोलल छोड़े
लागू।

श्री रमेश नाथ
श्री श्रवण उपलब्ध कराने का कष्ट

ज्ञानी
०६/०६/२२

प्रार्थी,
Jayendra
०६/०६/२२

नीलम आर्कड, शिमला बाईपास रोड,
नियर- प्रकाशलोक कॉलोनी,
परफेक्ट वैल्यू देहरादून।
248001
मो०९० ९८७०७६८८२८

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पैशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1939 / २८ / १४.०६.२०२२ / निःको० / आरटीआई / २०२२ दिनांक: १८ जून, २०२२

सेवा में,

1— लोक सूचना अधिकारी,
निदेशालय कोषागार,
1018, जवाहर भवन,
लखनऊ, उत्तराखण्ड।

2— लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
समस्त कोषागार,
उत्तराखण्ड।

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त कोषागार, उत्तराखण्ड से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक ०८.०६.२०२२ संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-२००५ की धारा ६ (३) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रु० ५० पोस्टल आर्डर संख्या ९८G767514 इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचनालय कोषाधिकारी/
विदेशालय कोषागार पैशन एवं हकदारी
२३, लक्ष्मी रोड, देहरादून
०१३५ / २२२६८२८

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री जगत मोहन जोशी, लोक सूचनालय कोषागार परफेक्ट वेल्यू स्टोर देहरादून 248001 को सूचनार्थ प्रेषित। साथ ही अधगत कराना है कि निदेशालय की विभागीय वेबसाईट ekosh.uk.gov.in पर Rules के अन्तर्गत कोषागार नियमावलियाँ जन सेवार्थ (Public domain) में अभिरक्षित हैं। जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
०१३५ / २२२६८२८

श्री जोशी STO

~~STO~~
3 10/22

सेवामें,

लोक सूचना अधिकारी,
पेशन निदेशालय,
लेखा एवं हक्कदारी अनुभाग-2
23 लक्ष्मी रोड डालनवाला,
देहरादून।

03912
14/6/2022

विषय:-
महोदय,

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना मागने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक पर अवगत कराना है कि मुझे निम्न विन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने का काट करे। अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति हेतु ₹ 90/- एवं सूचना अधिकार हेतु शुल्क के रूपमें 10/- मात्र कुल धनराशि ₹ 100/- मात्र की (पोस्टल आर्डर) राशि सलंगन कर प्रेषित की जा रही है।

- 1:- उत्तराखण्ड राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 56 K नियम लागू है अथवा नहीं, यदि हों तो उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का काट करे।
- 2:- 50 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारी/कर्मचारी के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने हेतु अनिवार्य सेवा किसाने वर्ष की होनी चाहिए।
- 3:- उत्तराखण्ड राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु नियम उपलब्ध कराने का काट करे।
- 4:- 20 वर्ष की राजकीय सेवा से पूर्ण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने हेतु नवीनतम नियम है अथवा नहीं यदि हों तो उसकी भी प्रति उपलब्ध कराने का काट करे।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

①	-पोस्टल आर्डर नं -	37F 941881 - ₹ 10 -
②	" -	91F 248809 - ₹ 20 -
③	" -	91F 248810 - ₹ 20 -
④	" -	81G 791883 - ₹ 56 - ₹ 100 -

प्रार्थी

Sudhir Kumar
081-61122
(सुधीर कुमार)

निवासी 128/2 गली

न०-३ छोटी

रामनगर लड़की,

जिला-हरिद्वार 247667

M.O.H.O. - 9412920332

मूलना 3400-मे परे पर उपर्युक्त करने के लिए कृपा करें।

Sudhir Kumar

श्री जोशी AAO
उत्तराखण्ड राजकीय सेवा का न्यून

14/6/22

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2311

/29/14.06.2022/नि०को०/आर०टी०आई०/2022

दिनांक: 02 जून, 2022

श्री सुधीर कुमार,
निवासी 128/2,
गली नं०-३ छोटी रामनगर,
रुडकी, जिला-हरिद्वार
247667

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 08.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 14.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके ह्वारा 04 विन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

अतः पटल ह्वारा प्राप्त सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

विन्दु 01, 02 व 04— के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1844 दिनांक 09 अप्रैल, 2003 की प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-2) संलग्न है।

विन्दु 03— के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है जिसकी प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-3) संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत माहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135 / 2226828

मेरा नं.

मोता मुचना ज्ञानवारा

प-शन निवासन

२३ लेक्ष्मी रोड ग्र.ग्राम

श्रीजोशी STO

आदरण्य महादेव

निःशब्द

कृपा भोला मुचना ज्ञानवारा का ज्ञानवारा
 एवं उपर्युक्त वार्ता की कृपा है।
 विश्व अस्वारा कमेचारा कृष्णवा - गोवर्धा इवाहिका
 कृष्ण तारारव दिनांक ३७/१२/१९७२ से दिन १२-२-१९७५ तक
 वा. मोता मुचना पापित है, दिन १३-२-१९७५ से दिन ५/५/१९७५
 कृष्ण ज्ञानवारा का इत्ताल के कारण क्षम उत्ताधि ८२
 दिन का ज्ञानवारा भाने लिए विजामि कारण से क्षम होने
 के कारण क्षम उत्ताधि की सेवा पापित - इसे हो पाई
 है। दिनांक ६/५/१९७५ से दिनांक ३०/५/१९७२ तक वा.
 मोता मुचना पापित है। दिनांक १-१०-१९७२ से दिन २-४-१९७३
 तक कृष्ण उत्ताधि की जोकरा से विजामि हुड़ा जायेन
 १८८ के कारण भाने लिए ना होने के कारण विजामि दिन
 क्षम उत्ताधि का ज्ञानवारा इक्कीकृत लिया देया दिनांक
 ३-४-१९७३ से दिन ३०-४-१९७४ तक वा. मोता मुचना पापित
 है। इस दृवारे कृष्ण का मुत्ता उत्ताधि से यदि विजामि दिन ३०६ दिन
 का स्वास्थ्य अपवाहन कर कर्मा जायेन तो १० वर्ष से ज्ञानवारा वा. सेवा
 बनति है, कृपा सुचित कर वा. विजामि आसनादेसु के तहत
 कमेचारा १० वर्ष तो इस परिस्थिति की भवित्व पर खाना-
 पान कर सकता है। १० वर्ष वा. उत्ताधि का पाता है,
 तो कृपा उत्ताधि आसनादेसु, वा. इसी दिनांक वा.
 कृपा कर, ताकि तरुनसर वायिवाहा करना प्रभाव हो सका।

अस्तु:- पोष्टल डाक्टर नं. (८)-
प्रश्ना ८७F- १०२५३४

९-६-२०२२

दिन: ९-६-२०२२ श्री गोपी नारा नानारामी कर्तव्यालय
 (शुरबीर सेंट बिकर)
 १२ घालत भाइन
 दृढ़दार्दन

संलग्नक 10
अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

पंजीकृत

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2225

/30 / 14.06.2022 / नि०को० / आ०टी०आ०५० / 2022

दिनांक: 28 जून, 2022

श्री शूरबीर सिंह बिट्ट
12 फालतू लाईन,
देहरादून।

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 09.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 14.06.2022 को प्राप्त/अंकित है।

मांगी गयी सूचना प्रश्नवाचक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत "सूचना की परिभाषा" (धारा-2(च)) के अनुसार एवं [धारा-2(एफ)] तथा (धारा 2 (आई)) अभिलेख (रिकार्ड) की परिभाषा के अन्तर्गत सूचना की मांग नहीं की गयी है, पृच्छा की गयी है। इस सम्बन्ध में 'कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/7/2009-आई.आर. दिनांक 01 जून 2009 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में यथा परिभाषित शब्द सूचना में क्यों? क्या? कैसे? जैसे प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं किए जा सकते हैं। किसी कार्य के होने अथवा उसके द्वारा हुये परिणाम एवं कारण नहीं बताया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सूचना में की गयी पृच्छा/प्रश्नात्मक प्रश्नों का उत्तर दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

तथापि 10 घई की सेवा से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 266 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 (पृष्ठ- 3 आगे पीछे) एवं पेंशन अहं सेवा से सम्बन्धित नियम (पृष्ठ-01) की प्रमाणित छायाप्रतियां निशुल्क संलग्न हैं। साथ ही आनलाईन डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत नाहन जोशी)

लोक सूचना अधिकारी, देहरादून

कार्यालय कार्यालय

0135 / 2226828

संहा सं.

मालोथी 50

~~प्रमाण निदेशांगय कोशलार मरोदय~~
~~प्रमाण निवास फूकदारो उत्तराखण्ड~~
~~नं १६१२ २३ अक्टूबर गोड डाकघराला देहान्दन,~~
~~मिन्न २४/८/७।~~

विषय:- गुरुवार का आधिकार जापीचियम 2005 के उत्तराखण्ड सूचना प्रभाव
वराचे के अन्तर्दर्श में।

मरोदय, उपरोक्त विषय में जिवेदन है, कि यादी घटनामें रावतवन
 विमान गजस्थान मरवार में सेवानिवृत्त है, वर्तमान में ए नोशारहनी
 खेगरण्ड में येंशन घास करता है, मरोदय सूचना का आधिकार २००५ के
 उत्तराखण्ड नियन्तालिमिति समस्या विक्षुलों का निवारण कर की गई कार्यवाही की
 सूचना प्रियतावद कराने की छुपा करें,

०९०९६ १) विना-किन बिंदों से ३% बढ़ा हुवा महंगाई माला इनकी २०२२ में
 जाज दिनांक तक रही मिला, ३४% D.A. बित्तमान में,

२) भूमान जी कार्यस्थ दृष्टान्त महात्मेवाकार खायपुर गजस्थान में दूरामाल(भूमि)
 में सम्पद करते पर बताया गया ३% D.A. के एक्यादेश राज्य में नाहर रह रहे
 सभी घासों के महात्मेवाकार कार्यलयों को भारत २०२२ के अनितम तिथि के
 मौजूदा राज देश दिये गये हैं, तुला D.A. ३४% बित्तमान में।

३) भूमान जी सेवानिवृत्ति तिथि में भाज दिनांक तक साधी की बिजा आवेदन-तिवेदन
 को भाज दिनांक समयानुसार चुगतान रही मिल याहा त्रुपया मार्ग दर्जन करने की कृता

पात्र १) वर्देश सेवा सहयोग हेतु सूचन्यवाद/
 १०/८८ प्रेस्टम्प भाउफ. → ५७ F ०९७४७२ भूर्तेपल विष्वाल.
 देशी सेवनायन → हृष्टानी
 प्रक्रिया → हृष्टानी
 सिला → चौरीताल
 तिथि → ०८.०६.२०२२

मालोदय
 रावत
 P.P.O. - ६५२६३८ (R)
 G.R.D. ६०९५०८४३

D.S. Rawat HN ५७७ Malli RAMORI
 P.O. - Bhatija Paraw Teh. HALDWANI
 VARD NO. 48 Sainik Colony NAINITAL (U.K.)
 Dist. — २६३१३९
 Mob: 8057900124

संलग्नक 10
अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

पंजीकृत

कार्यालय का नाम व पता:-

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2287 / 31 / 15.06.2022 / नि०को० / आई०आई० / 2022

दिनांक: 30 जून, 2022

श्री डी०एस० रावत,
म०न० 577 मल्ली बमोरी,
प०० भोटिया पड़ाव,
तहसील हल्द्वानी, वार्ड नं० 48,
सैनिक कालोनी, पिन कोड- 263139

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 08.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 15.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 03 बिन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01 से 03-के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मंहगाई भत्ते रो सम्बन्धित शासनादेश इस निदेशालय को दिनांक 23.06.2022 को प्राप्त हुआ है एवं वर्तमान में डेटा सेन्टर द्वारा आई०एफ०एम०एस० सापटवेयर पर अपलोड कर दिया गया है। जिसकी प्रति (पृष्ठ-01) निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत माहने जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
५०१३५ / २२२६८२८



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), UTTARAKHAND

सं0:33/टी०एम०/आर०टी०आई०/2022-23/257
दिनांक: 13.06.2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
निदेशालय,
कोपागार, पैशन एवं हकदारी,
23-लक्ष्मी रोड, डालनबाला,
देहरादून-248001

संप्रेषण

प्रियोग
17/22

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, की धारा 6 (3) के अन्तर्गत पत्र को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुरोधकर्ता श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा का सूचना हेतु अनुरोध-पत्र दिनांक 2.06.2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 06.06.2022 को प्राप्त हुआ है, जोकि स्टेट हैल्थ कार्ड के बनने से सम्बन्धित है। उक्त सूचनायें राज्य सरकार से सम्बन्धित होने के कारण उक्त पत्र आपके कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है ताकि अनुरोधकर्ता को सीधे सूचनायें आपके स्तर से उपलब्ध करायी जा सकें।

प्रार्थी के अनुरोध पत्र के साथ निर्धारित शुल्क ₹0 10/-का एक IPO 57F001029 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। यदि सूचना आपसे सम्बन्धित नहीं है तो पत्र को अन्य सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को स्थानान्तरित करने का काम करें।

रखानक: अनुरोधकर्ता से प्राप्त अनुरोध-पत्र मूल रूप से।

महालेखाकार (लोक सूचना अधिकारी)/वर्णनमूलो (प्रशासन)
कैन्फ्रीय लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय का द्वारा

सं0:33/टी०एम०/आर०टी०आई०/2022-23/

दिनांक: 13.06.2022

प्रतिलिपि—श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा, रजूनियोप्रयुक्ति निवासी-मकान नं० 510 गांधीनगर रुड़की, थाना गंग नहर, रुड़की जनपद-हरिद्वार, उत्तराखण्ड पिन कोड-247667 नं०-9412935888

कैन्फ्रीय लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय का द्वारा

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1994 / 32 / 13.06.2022 / नि०को० / आर.टी.आई. / 2022 दिनांक: 21 जून, 2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड,
A1 आई०टी०पार्क, सहस्रधारा रोड,
देहरादून।

कृपया श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा निवासी म०नं० 510, गांधीनगर, रुड़की जनपद हरिद्वार का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 31.05.2022 जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/व०उ०म०ल०० महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 33/टी०ए०/आर०टी०आई०/2022-23 दिनांक 13.06.2022 के द्वारा सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु इस निदेशालय को हस्तान्तरित की गयी है, जो इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 18.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 31.05.2022 संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(जगत माहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135 / 2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/व०उ०म०ल०० महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
- 2- श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा निवासी म०नं० 510, गांधीनगर, रुड़की जनपद हरिद्वार 247667

(जगत माहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135 / 2226828

मैत्र ज्ञेय प्र०

१८/२२

सूचना प्राप्त के लिए अनुरोध धारा 6(1) सूचना अधिकार अधिनियम 2005

अनुरोध कर्ता का नाम — प्रेमचन्द गुप्ता
पिता का नाम — श्री इलम चन्द गुप्ता
पत्राचार का पूरा पता — आदर्श विहार, वार्ड नं 2, चौक बाजार,
सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून
उत्तराखण्ड — 248142

इच्छित सूचना का पूरा विवरण :-

प्रार्थी ने दिनांक 27.04.2022 को प्रार्थना पत्र निदेशालय कोषागार पेंशन एवं
हकदारी उत्तराखण्ड वित्त विभाग उत्तराखण्ड सरकार 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
देहरादून 248001, स्पीड पोस्ट EV275858606 IN हरबर्टपुर 248142 से प्रेषित किया
था। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही के सम्बंध में सूचना की
आवश्यकता है।

सम्पूर्ण दस्तावेजी विवरण सम्बन्धित विभाग का नाम —

श्रीमान निदेशक लोक सूचना अधिकारी,
कोषागार पेंशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड वित्त विभाग उत्तराखण्ड सरकार,
23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून 248001

1. आवेदक शुल्क जमा करने का प्रमाण पत्र 10/- रुपये का पोस्टल आर्डर
54 F418936
2. गरीबी रेखा से नीचे आय का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) लागू नहीं
3. आवेदन जमा करने के तिथि 16-06-2022
4. आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान — प्रेमचन्द गुप्ता ३८५७५००

०४३५०
२८/६/२२

प्राप्तवीर्य १००
०६/६/२२

श्री प्राप्तवीर्य १००
०६/६/२२ प्राप्तवीर्य १००
कृत्ति द्वारा प्राप्तवीर्य १००

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2282 / 33 / 20.06.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक ०० जून, 2022

श्री प्रेमचन्द गुप्ता,
पुत्र श्री इलम चन्द गुप्ता,
निवासी— आदर्श विहार, वार्ड नं०-२,
चौक बाजार, सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर,
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून

कृपया आपके सूचना के अनुरोध—पत्र दिनांक 16.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 20.06.2022 को प्राप्त/अकित है। जिसमें आपके द्वारा अपने प्रार्थना—पत्र में हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना की मांग की गयी है।

उक्त मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या 1371 / नि०को० / एफ०टी०सी० / आईएफएमएस०(१) / २०२० / ३८७ दिनांक ०१ जून, २०२२ की छायाप्रति (पृष्ठ-०२) निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से ३० दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,



(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135 / 2226828

पंजीकृत/स्पीडपोस्ट

अनुरोधकर्ता

परशुराम भट्ट
गाम जाखणी पो.ओ. कीर्तिनगर
ठिहरी गढ़वाल ।

सेवा मे

लोक सूचनाधिकारी/ निदेशक कोवागार
पेन्शन एवं हकदारी उत्तराखण्ड
23 लक्ष्मी रोड डालनवाला-देहरादून ।

विषय-माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग के अनुरूप वेतन निर्धारण का शासनादेश उपलब्ध कराने के संबंध मे सूचनानुरोध ।

महोदय

सूचनाधार 2005 के प्रविधानों के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग के अनुरूप वेतन निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश सहित आवेदित सूचना अनुरोध कर्ता को उपलब्ध कराने की कृपा करें . इस हेतु दस रूपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर अनुरोधपत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है ।

01- पंचम वेतन आयोग के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या 750 दिनांक 23- 09-2022 की पठनीय, स्पष्ट एवं लोक सूचिकारी के द्वारा प्रभाणित प्रति ।

02- उपरोक्त शासनादेश के संबंध मे आपके कार्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित किसी कार्यालय से शासनादेश के लागू किए जाने के बारे मे कोई पृच्छा अथवा जिजासा प्रकट की गई हो तो उसके बारे मे सूचना ।

दिनांक: 17-06-2022

संलग्न: पोस्टल ऑर्डर स.46F 358075

अनुरोध कर्ता

॥परशुराम भट्ट॥

सेवा बानिवृत पर्यानाचार्य

राजकीय इंटरकालेज हिसरियालाल ठिहरी
हाल नियास-जाखणी कीर्तिनगरठिहरी-249161

श्री नेत्री भट्ट
पंजीकृत/स्पीडपोस्ट

Prbhatt04@gmail.com मो. 7579022065

: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता:- निदेशालय कोषागार, पैशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या 2200 / 28 / 14.06.2022 / नि०को० / आर.टी.आई. / 2022 दिनांक: 24 जून, 2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय— माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोबन इन्क्लेव, तरला,
केवल दिहार, आमवाला, देहरादून
पिन कोड— 248001

कृपया श्री पशुराम भट्ट (से०नि०) निवासी जाखणी, पो० कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल, 249161 का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 17.06.2022 जो कि इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 23.06.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 17.06.2022 संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का काष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रु० 10 पोस्टल आर्डर संख्या 46F358075 इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(जगत माहेन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135 / 2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री पशुराम भट्ट (से०नि०) निवासी जाखणी, पो० कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल, 249161 को सूचनार्थ प्रेषित।

(जगत माहेन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135 / 2226828

गा में

लोक सूचनाधिकारी,
कोषागार एवं वित्त सेवाएं,
23. लक्ष्मी रोड डालनवाला,
देहरादून।

प्रति ४५
२३/०६/२२

प्रति ५७
५/७/२२

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विधानसभा सचिवालय के सम्बंध में निम्न विन्दुओं पर सूचना प्रमाणित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

- 1- वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में विधानसभा सचिवालय हेतु आवंटित इम्प्लाई कोड से सम्बंधित दस्तावेज की छायाप्रति प्रमाणित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- उपर्युक्त इम्प्लाई कोड उपलब्ध कराये जाने हेतु विधानसभा सचिवालय द्वारा नियम आदेश/पत्र की छायाप्रति प्रमाणित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-पोस्टल आर्डर क्र0-104249 से 104252 तक

(कुल-40/-) डिनो २२-६-२२

भवदीय,

(गोकर्ण सिंह रावत)

अनुसचिव

क0न0-9 उत्तरी ब्लाक,

सचिवालय देहरादून।

गोन0-९९२७६९८२१७

“ सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ”

कार्यालय का नाम व पता:- निदेशालय कोषागार, पैशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2224 / 36 / 27.06.2022 / निर्देशालय / आरटीआई / 2021 दिनांक: 28 जून, 2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी,
कार्यालय-केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रेजरी),
23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
देहरादून

कृपया श्री गोकर्ण सिंह रावत, अनुसंचिव क0न0-9 उत्तरी ब्लाक, सचिवालय देहरादून का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 22.06.2022 जो इस निदेशालय की कम्यूटर डायरी में दिनांक 27.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 22.06.2022 मूलरूप में संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

मवदीय,

(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135 / 2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1— श्री गोकर्ण सिंह रावत, अनुसंचिव क0न0-9 उत्तरी ब्लाक, सचिवालय देहरादून।

(जगत मोहन जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप कोषाधिकारी
0135 / 2226828

04/06/22 अमेरिका STO

04/06/22

8

ट्रैकिंग नं 22/22

सुनना आवश्यक / विवरण

निम्नाख्य वेष्टिंग १०० प्रैयक १०० हवारी उत्तरार्थ

23. लहरी डॉलर बाला, दहरा दहरा,

प्रैयक .. प्रैयक / 2022-23 - विवरण 22-6-2022.

अलेख, यहां आधिकार आवश्यक 1995 के अनुसार

निम्न विवरणों पर अपनी आख्य विधिवति समय
के अन्तर्गत उपर्युक्त वर्णन की ज्ञान करें।

प्रैयक - 1 - एथलेटिक / प्रबन्धक, इन्द्र जालन किलोवाट
पाटी गढ़वाल के प्राप्ति / 1739 / प्रैयक / अप्रैल
देखक / 2021-22 / विवरण, 15-3-2022 के अवलोकन
के प्रत्याप - 21. प्रकरण पर कर कार्यरात्रि विवरण
अन्तर्गत प्रकरण सावधान 2022 का है,

क) हो चुप्या स्थान करने की ज्ञान करें।

प्रैयक 2 - एक शुक्री पर कर लेने अप्रैल के कार्यरात्रि
दोषी, स्थान करने की ज्ञान करें।

सुलभ - प्रैयक आदि कीमत 10-07
(दस दस) मुला लकड़ संतुष्ट
किए आ दो है।

अप्रैल 2021/2022 -
(अनुसुधा कराने वाली)
आमनी विवरण - 2
उत्तरार्थी प्रैयक, एक विवरण
हवारी (विवरण)

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2329 / 37 / 30.06.2022 / नि०को० / आर.टी.आई. / 2022 दिनांक: 02 जुलाई, 2022

रोवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय— कोषागार पीडी गढवाल
उत्तराखण्ड।

कृपया श्री अनुसूया प्रसाद ध्यानी, गायत्री विहार फेस-2, उदयपुरी चोपडा, पो० चिल्किया, रामनगर, नैनीताल का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 22.06.2022 जो इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 30.06.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी तथा इस आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 22.06.2022 संलग्न कर सूचना आपके सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना, अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करे। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क नगद (रु० 10/-) इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।


 भवदीय,
 (जगत मोहन जोशी)
 लोक सूचना अधिकारी/
 उप कोषाधिकारी
 0135 / 2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री अनुसूया प्रसाद ध्यानी, गायत्री विहार फेस-2, उदयपुरी चोपडा, पो० चिल्किया, रामनगर, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।


 (जगत मोहन जोशी)
 लोक सूचना अधिकारी/
 उप कोषाधिकारी
 0135 / 2226828